सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 63/2026 दिनांक : 27.07.2026

परिवादी :– श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र, राज विहार कालोनी, फेस–2, जगजीतपुर, कनखल, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र, राज विहार कालोनी, फेस–2, जगजीतपुर, कनखल, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–JW21420122530, स्वीकृत भार 04 किलोवाट के सन्दर्भ में कथन किया है कि विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 04 फरवरी 2025 को विद्युत मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया था, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गयी। पुराने मीटर की रीडिंग को सीलिंग रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। उसके बाद उन्हें रू0. 25983.00 का बिल प्राप्त हुआ, जो कि ठीक नहीं है तथा मार्च 2025 से लगातार अत्यधिक बिल प्राप्त हो रहे हैं, जो कि उनके पिछले बिलों से बहुत ज्यादा हैं। जिसके लिए उनके द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2025 में चैक मीटर की शिकायत की गयी थी जिसे विभाग द्वारा यह बताकर निरस्त कर दिया गया कि उनके यहां स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, जो कि गलत है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त शिकायत के सम्बंध में उचित कार्यवाही कर बिल को संशोधित कराते हुए सही बिल दिया जाए साथ ही जब तक यह वाद मंच के समक्ष विचाराधीन है जब तक उनका विद्युत कनैक्शन न काटा जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 1810 दिनांकित 27.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उभोक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जो सिलिंग प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है वह किसी अन्य नये विद्युत संयोजन से संबंधित है। उपभोक्ता हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 04.02.2025 को पुराने मीटर संख्या 10236764 के स्थान पर स्मार्ट मीटर संख्या 5582292 स्थापित किया गया था। मीटर बदलते समय पुराने मीटर संख्या 10236764 की रीडिंग 10253 थी, जो कि मीटर के संलग्न छायाचित्र से प्रमाणित हो राह है। इस अधार पर माह 02/2025 में उपभोक्ता को आरपीडीआरपी प्रणाली द्वारा पुराने मीटर की शेष यूनिट 3490 हेतु रू0. 25983.00 का विद्युत बीजक प्रेषित किया गया था, जो नियमानुसार उचित है। उसके उपरांत उपभोक्ता को खपत के आधार पर स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर विद्युत बीजक प्रेषित किये जा रहे है, जिसको प्रमाणित करने हेतु स्मार्ट मीटर की खपत रिपोर्ट पत्र प्रस्तुत किया गया है।

क्रमशः.....02

उक्त के अनुक्रम में अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4811 दिनांकित 20.07.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि नामें श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री रामचंद्र, राज विहार कालोनी, फेस–2, जगजीतपुर, कनखल, जिला हरिद्वार के सापेक्ष सहायक अभियंता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (सिड़कुल), हरिद्वार द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 1949 दिनांक 24.06.2026 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री रामचंद्र का मीटर, दिनांक 24.06.2026 तक भी मै0 गढ़वाल स्मार्ट मीटरिंग प्रा0 लि0 द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया है, जिस कारण उक्त मीटर की एम0आर0आई0 सम्भव नहीं हो पाई है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री राजेश चौधरी तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्री एस0 के0 गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 04.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 21.09.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.01.2025 तक एमयू आधार पर, दिनांक 02.03.2025 को एमसी आधार पर, दिनांक 08.04.2025 से दिनांक 10.10.2025 तक एमयू आधार पर, तद्पश्चात, दिनांक 04.12.2025 से दिनांक 02.03.2026 तक, लगातार 04 बिलिंग चक्रों हेतु, एमसी (एमयू) आधार पर, बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–10236764 को, दिनांक 04.02.2025 को, स्मार्ट मीटर संख्या–5582292 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा गत वर्षों में, जारी विद्युत बिलों का विवरण, निम्नानुसार हैः

मीटर संख्या	अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
	से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
10236764	18.12.22	15.06.23	5.90	00	1482	1482	251
	15.06.23	13.12.23	5.93	1482	2734	1252	211
	13.12.23	12.06.24	6.00	2734	4598	1684	311
	12.06.24	12.12.24	6.00	4598	6530	1932	322
	12.12.24	11.01.25	1.00	6530	6763	233	233
	18.12.22	***11.01.25***	***24.83***	***00***	***6763***	***6763***	***272***
	11.01.25	04.02.25	0.76	6763	10253	3490	4592
	18.12.22	***04.02.25***	***25.59***	***00***	***10253***	***10253***	***401***
5582292	04.02.25	06.06.25	4.06	00	2197	2197	541
	06.06.25	10.10.25	4.13	2197	6128	3931	952
	10.10.25	02.03.26	4.73	6128	7741	1613	341
	04.02.25	***02.03.26***	***13.00***	***00***	***7741***	***7741***	***595***

उपरोक्त विवरण से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–10236764 के माध्यम से, दिनांक 18.12.2022 से दिनांक 11.01.2025 तक, लगभग 24.83 माह की अवधि में, कुल 6763 (6763–00)

क्रमशः.....03

यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 24.83 माह की अवधि में, लगभग 272 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.01.2025 से दिनांक 04.02.2025 तक, लगभग 0.76 माह की अवधि में, कुल 3490 (10253–6763) यूनिट की विद्युत खपत का विद्युत बिल परिवादी को जारी किया गया है। अर्थात, परिवादी द्वारा उक्त 0.76 माह की अवधि में, लगभग 4592 यूनिट प्रति माह कमी औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 272 यूनिट प्रति माह की तुलना में, लगभग 1588.24 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। परिवादी द्वारा, उक्त मीटर संख्या–-10236764 के माध्यम से, दिनांक 18.12.2022 से दिनांक 04.02.2025 तक, लगभग 25.59 माह की अवधि में, कुल 10254 (10253–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 25.59 माह की अवधि में, लगभग 401 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। इसी प्रकार, परिवादी द्वारा, स्मार्ट मीटर संख्या–5582292 के माध्यम से, दिनांक 04.02.2025 से दिनांक 02.03.2026 तक, लगभग 13 माह की अवधि में, कुल 7741 (7741–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 13 माह की अवधि में, लगभग 595 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 401 यूनिट प्रति माह की तुलना में 48.38 प्रतिशत अधिक है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, परिवादी द्वारा मीटर संख्या–10236764 के माध्यम से, दिनांक 18.12.2022 से दिनांक 04.02.2025 तक, लगभग 25.59 माह की अवधि में, 401 यूनिट प्रति माह की औसत दर से की गई कुल विद्युत खपत 10253 (10253–00) यूनिट, सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 14.12.2022 से दिनांक 02.03.2025 तक, जारी बिलों को संशोधित करते हुए, दिनांक 15.10.2022 से दिनांक 18.12.2022 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 18.12.2022 से दिनांक 04.02.2025 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या–1023614 पर, उक्त अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत–10253 (10253–00) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 04.02.2025 से दिनांक 02.03.2025 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या–5582292 पर उक्त अवधि में दर्ज विद्युत खपत–213 (213–00) यूनिट के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है। विपक्षी विभाग द्वारा, बिल संशोधन की प्रकिया में, दिनांक 15.10.2022 से दिनांक 02.03.2025 तक की अवधि हेतु, बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज विलंब अधिभार शुल्क को ही, संशोधित बिल में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 14.12.2022 से दिनांक 02.03.2025 तक, जारी बिलों को संशोधित करते हुए, दिनांक 15.10.2022 से दिनांक 18.12.2022 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 18.12.2022 से दिनांक 04.02.2025 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या–1023614 पर, उक्त अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत–10253 (10253–00) यूनिट के

क्रमशः.....04

सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 04.02.2025 से दिनांक 02.03.2025 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या—5582292 पर उक्त अवधि में दर्ज विद्युत खपत—213 (213—00) यूनिट के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करते हुए, बिल संशोधन की प्रक्रिया में, दिनांक 15.10.2022 से दिनांक 02.03.2025 तक की अवधि हेतु, बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज विलंब अधिभार शुल्क को ही, संशोधित बिल में सम्मिलित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

27/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 76/2026 दिनांक : 21.07.2026

परिवादी :– मै0 शिवालिक इंटरनेशनल केयर ऑफ श्रीमती कविता चौहान, एफ–90, इंडस्ट्रियल एरिया, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी मै0 शिवालिक इंटरनेशनल केयर ऑफ श्रीमती कविता चौहान, एफ–90, इंडस्ट्रियल एरिया, बहादराबाद द्वारा जेडब्लू0के000195253, के सन्दर्भ में कथन किया है कि उनका विद्युत बिल पूर्व में (स्मार्ट मीटर लगने से पूर्व) सही प्रकार से आ रहा था, तथा उनके द्वारा निरंतर बिल राशि को ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा था, परन्तु जब से स्मार्ट मीटर स्थापित हुआ है तब से रीडिंग भी बढ़ गई है तथा बिल की राशि भी दोगुनी हो गई है। जिससे उनको काफी परेशानी हो रही है, जिसकी सूचना संबंधित अवर अभियन्ता को उनके व्हाट्सएप नं0 पर दी गई थी। तद्पश्चात अधिशासी अभियंता से इस विषय पर वार्ता हुई तथा अनुरोध पर चैक मीटर भी लगवाया गया, परन्तु अभी तक भी कोई समाधान नहीं निकला। विभाग के अधिकारी सारी कमी स्मार्ट मीटर की बता रहे हैं कि पूर्व के मीटर के0डब्लू0एच0 के रीडिंग लेते थे तथा स्मार्ट मीटर के0वी0ए0 में ले रहे हैं, जिससे बिल ज्यादा आ रहा है तथा कैपेसिटर बैंक लगवाना था तो स्मार्ट मीटर स्थापित करते वक्त अधिकारियों या कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा स्पष्ट रूप में बताना चाहिए था। परन्तु किसी ने भी ऐसा नहीं किया तथा लिखित रूप में कोई जानकारी नहीं प्रदान की गई। मंच यदि पूर्व की रीडिंग का संज्ञान ले तो उससे स्पष्ट है कि पूर्व में बिल कम आता रहा है। यदि बिल में इजाफा होगा तो 5 प्रतिशत या अधिकतम 10 प्रतिशत का हो सकता है। परन्तु उनके बिल में पूरे दोगुने का इजाफा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके विद्युत बिल को ठीक करने की कृपा करें साथ ही जब तक वाद आपके समक्ष प्रक्रियाधीन है तब तक विद्युत संयोजन विच्छेदित न किया जाये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 2741 दिनांकित 10.04.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विद्या STN-72/New RTS-5 LT Industry above 25KW स्वीकृत लोड 30 KW/36 KVA, का संयोजन दिनांक 23.11.2022 से चला आ रहा है। उक्त संयोजन 0.4 के0वी0 पर है जिस पर मीटर सं0 19628499 स्थापित था तथा एम0एफ0 10 था। दिनांक 16.08.2025 को मीटर सं0 19628499 को बदलकर मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) स्थापित किया गया। मीटर सं0 5705714 (Smart Meter) का एम0एफ0 40 है। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर नं0 19628499 का माह 04/2025 का विद्युत बिल, अवधि दिनांक 31.03.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक (जारी करने का दिनांक 08.05.2025), एम0यू0 के आधार पर 1590 यूनिट (KVAh) का,

क्रमशः.....02

रू0 39355.00 निर्गत किया गया था जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा दिनांक 15.05.2025 को किया गया तथा इस अवधि मे केडब्लएच मे उपभोग (2692-2535)x10=1570 KWh रहा तथा इस अवधि में KVAh में उपभोग (2794-2635)x10=1590 KVAh रहा। अतः इस अवधि में पावर फैक्टर उपभोक्ता के लोड पर निर्भर करता है न कि यूपीसीएल सप्लाई पर। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर नं0 19628499 का माह 05/2025 का विद्युत बिल, अवधि दिनांक 30.04.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक (जारी करने का दिनांक 19.06.2025), एनआर के आधार पर Provisionaly 1253 यूनिट (KVAh) का, रू0 14235.00 (Prompt Payment rebate प्रदान करने के उपरांत) निर्गत किया गया था जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा इस अवधि में पावर फैक्टर 0.96 आंकलित किया गया। पावर फैक्टर उपभोक्ता के लोड पर निर्भर करता है न कि यूपीसीएल सप्लाई पर। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर नं0 19628499 का माह 06/2025 का बिल, अवधि दिनांक 31.05.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक (जारी करने का दिनांक 17.07.2025), एनआर के आधार पर Provisionaly 1248 यूनिट (KVAh) का, रू0 28862 00 (मय बकाया) निर्गत किया गया था जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा दिनांक 18.07.2025 को किया गया। पावर फैक्टर उपभोक्ता के लोड पर निर्भर करता है न कि यूपीसीएल सप्लाई पर। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर नं0 19628499 का माह 07/2025 का बिल, अवधि दिनांक 30.06.2025 से दिनांक 31.07.2025 तक (जारी करने का दिनांक 19.08.2025), एनआर के आधार पर Provisionaly 1243 यूनिट (KVAh) का, रू0 14213.00 (Prompt Payment rebate प्रदान करने के उपरांत) निर्गत किया गया था जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा दिनांक 01.09.2025 को किया गया तथा पावर फैक्टर 0.95 अंकित किया गया। पावर फैक्टर उपभोक्ता के लोड पर निर्भर करता है न कि यूपीसीएल सप्लाई पर। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर नं0 19628499 व दिनांक 16.08.2025 से मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) का माह 08/2025 का बिल, अवधि दिनांक 31.07.2025 से दिनांक 31.08.2025 तक (जारी करने का दिनांक 22.09.2025), एमयू के आधार पर 3250 यूनिट (KVAh) का, रू0 2146.00 (3 month NR Adjustment प्रदान करने के उपरांत) निर्गत किया गया था जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा पावर फैक्टर 0.98 अंकित किया गया। पावर फैक्टर उपभोक्ता के लोड पर निर्भर करता है न कि यूपीसीएल सप्लाई पर। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) का माह 09/2025 का बिल, अवधि दिनांक 31.08.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक (जारी करने का दिनांक 03.10.2025), एमयू के आधार पर 3157. 32 यूनिट (KVAh) का रू0 28293.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा इस अवधि में KWh में उपभोग (17.965-5.127)x40=513.52 KWh रहा तथा इस अवधि में पावर फैक्टर 0.16 रहा। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) का माह 10/2025 का बिल, अवधि दिनांक 30.09.2025 से दिनांक 31.10.2025 तक (जारी करने का दिनांक 05.11.2025), एमयू के आधार पर 11596.32 यूनिट (KVAh) का, रू0 104759.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा इस अवधि में KWh में उपभोग (25.479-17.965)x40=300.56 KWh रहा तथा इस अवधि में KVAh में उपभोग (374.112-84.204)x40=11596.32 KVAh रहा। अतः इस अवधि में पावर फैक्टर 0.03 रहा। उपभोक्ता को संयोजन जेडब्लू0के000195253 मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) का माह 11/2025 का बिल, अवधि दिनांक 31.10.2025 से दिनांक 30.11.2025 तक (जारी करने का दिनांक 04.12.2025) एमयू के आधार पर 14086. 36 यूनिट (KVAh) कां, रू0 191998.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा इस अवधि में KWh में उपभोग (45.806-25.479)x40=813.08 KWh रहा तथा इस

क्रमशः.....03

अवधि मे KVAh में उपभोग (726.272-374.112)x40=14086.40 KVAh रहा। अतः इस अवधि मे पावर फैक्टर 0.06 रहा। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) का माह 12 / 2025 का बिल, अवधि दिनांक 30.11.2025 से दिनांक 30.12.2025 तक (जारी करने का दिनांक 03.01.2026), एमयू के आधार पर 4955.92 यूनिट (KVAh) का, रू0 230068.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा इस अवधि में KWh में उपभोग (73.806-45.806)x40=1120.00 KWh रहा तथा इस अवधि में KVAh में उपभोग (850.169-726.272)x40=4955.88 KVAh रहा। अतः इस अवधि में पावर फैक्टर 0.23 रहा। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) का माह 01 / 2026 का बिल, अवधि दिनांक 31.12.2025 से दिनांक 31.01.2026 तक (जारी करने का दिनांक 02.02.2026), एमयू के आधार पर 1258.56 यूनिट (KVAh) का, रू0 248075.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा इस अवधि में KWh में उपभोग (102.649-73-806)x40=1120.00 KWh रहा तथा इस अवधि में KVAh में उपभोग (881.634-850.169)X40=1258.60 KVAh रहा। अतः इस अवधि में पावर फैक्टर 0.92 रहा। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) का माह 01 / 2026 का बिल, अवधि दिनांक 31.12.2025 से दिनांक 31.01.2026 तक (जारी करने का दिनांक 02.02.2026), एमयू के आधार पर 1258.56 यूनिट (KVAh) का, रू0 248075.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा इस अवधि में KWh में उपभोग (102.649-73-806)x40=1120.00 KWh रहा तथा इस अवधि में KVAh में उपभोग (881.634-850.169)X40=1258.60 KVAh रहा। अतः इस अवधि में पावर फैक्टर 0.92 रहा। उपभोक्ता के संयोजन जेडब्लू0के000195253 मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) का माह 02 / 2026 का बिल, अवधि दिनांक 31.01.2026 से दिनांक 28.02.2026 तक (जारी करने का दिनांक 02.03.2026), एमयू के आधार पर 1439.60 यूनिट (KVAh) का, रू0 267227.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा इस अवधि में KWh में उपभोग (135.702-102.649)x40=1322.12 KWh रहा तथा इस अवधि में KVAh में उपभोग (917.624-881.634)X40=1439.60 KVAh रहा। अतः इस अवधि में पावर फैक्टर 0.92 रहा। उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) का माह 03 / 2026 का बिल, अवधि दिनांक 28.02.2026 से दिनांक 31.03.2026 तक (जारी करने का दिनांक 07.04.2026), एमयू के आधार पर 1378.84 यूनिट (KVAh) का, रू0 287644.00 (मय बकाया) निर्गत किया गया, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा इस अवधि में KWh में उपभोग (167.788-135.702)x40=1283.44 KWh रहा तथा इस अवधि में KVAh मे उपभोग (952.095-917.624)X40=1378.84 KVAh रहा। अतः इस अवधि में पावर फेक्टर 0.93 रहा। उक्त से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के संयोजन सं0 जेडब्लू0के000195253 मीटर सं0 8101409 (Smart Meter) के बिलों से स्पष्ट है कि निम्न सारणी के अनुसार माहवार KWh उपभोग, KVAh व पावर फैक्टर रहा है।

माह	KWh में उपभोग	KVAh में उपभोग	पॉवर फैक्टर
माह 09 / 2025	513.52	3157.28	0.16
माह 10 / 2025	300.56	11596.32	0.03
माह 11 / 2025	413.08	14086.40	0.06
माह 12 / 2025	1120.00	4955.88	0.23
माह 01 / 2026	1153.72	1258.60	0.92
माह 02 / 2026	1322.12	1439.62	0.92
माह 03 / 2026	1283.44	1378.84	0.93

क्रमशः.....04

मंच को अवगत कराना है उपभोक्ता के संयोजन के उपभोग के आधार पर माह 09/2025, माह 10/2025, माह 11/2025 व माह 12/2025 मे पावर फेक्टर क्रमशः 0.16,0.03,0.06 व 0.23 रहा है तथा माह 01/2026, माह 02/2026 व माह 03/2026 मे पावर फेक्टर क्रमशः 0.92,0.92, व 0.93 रहा है। तथा पावर फैक्टर वादी के लोड पर निर्भर करता है न कि यूपीसीएल सप्लाई पर। मंच को अवगत कराना है कि उपभोक्ता की मीटरिंग एल0टी0 पर की जाती है। मंच को यह भी अवगत कराना है कि UERC (The Electricity Supply Code, Release of new connection and related Matters) regulation, 2020 के Chapter 1 के 2.1 Definitions के बिन्दु (j) के अनुसार–"Average power factor means the ratio of kWh to kVAh (Kilo Volt Ampere Hour) Supplied during the period." UERC (The Electricity Supply Code, Release of new connection and related Matters) regulation, 2020 के chapter 3 के 3.1 General के बिन्दु–5 के अनुसार– "Consumer having motive loads of more than 5 HP shall install Shunt Capacitor of appropriate rating conforming to BIS specification."

परिवादिनी ने अपने प्रतिउत्तर में कथन किया है कि संपूर्ण रीडिंग के ब्योरे एवं मीटर (Smart Meter) को स्थापित करना दर्शाया है। मेरी मंच से प्रार्थना है कि उपभोक्ता का पूर्व स्थपित मीटर जो वर्षो से सही प्रकार की रीडिंग दर्शा रहा था उसी को पुनः स्थापित करवा दिया जाए, क्योंकि उससे उपभोक्ता पूर्णतयाः संतुष्ट रहे हैं। जबसे स्मार्ट मीटर लगे हैं तभी से समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि स्मार्ट मीटर सही प्रकार की रीडिंग नहीं दर्शाते हैं, ऐसी शिकायत मात्र उनकी स्वयं की नहीं है अपितु अन्य उपभोक्ताओं की रही है, तथा जिसके लिए यह मुद्दा श्री तिलक राज बेहड़ पूर्वमंत्री द्वारा भी उठाया गया था, कुमांऊ तथा गढ़वाल में भी पुरजोर स्मार्ट मीटर का विरोध रहा तथा उपभोक्ता को बिना बताए चुपचाप आकर कर्मियों द्वारा उनके संस्थान पर स्मार्ट मीटर लगाया गया जोकि वर्तमान में, एक झगड़े का सबब बन चुका है। वह सिर्फ यूपीसील की हठधर्मिता/मनमानी के कारण रहा। उनके अधिकारी बात तक नहीं सुनते हैं। समस्या तो समाधान क्या करेंगे। अतः मंच से पुनः निवेदन है कि एक साल या जो मंच चाहे स्मार्ट मीटर स्थापना से, पूर्व औसत रीडिंग के अनुसार बिल जारी करवा दिया जाए जिसे उनके द्वारा तत्काल जमा किया जाएगा, तथा पूर्व के मीटर को पुनः स्थापित करवा दिया जाए ताकि भविष्य में कोई विवाद ना रहे। बाकी उपभोक्ता पिछले 5 वर्षों से लगातार बिल भुगतान करते आ रहे हैं तथा कोई शिकायत नहीं रही है साथ में ही अन्य संस्थान भी हैं जो कि स्वंय के हैं उनमें कोई शिकायत नहीं है। स्मार्ट मीटर को हटाकर पुराना या पूर्व स्थापित मीटर लगाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण बहादराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के, यूपीसीएल द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की मनमानी के चलते उद्योगों को बंद करना पड़ेगा।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री राकेश चौहान उपस्थित तथा विपक्षी अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 30.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 23.11.2022 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 04.05.2026 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादिनी द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–19628499 को, स्मार्ट मीटर संख्या–8101409 द्वारा, दिनांक 16.08.2025 को, प्रतिस्थापित किए जाने के उपरांत, विद्युत बिल की धनराशि दोगुना बढ़ जाने के कथन के साथ, दिनांक 16.08.2025 के पश्चात जारी विद्युत बिलों को विवादित ठहराया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, विगत वर्षो में, जारी विद्युत बिलों का विवरण, निम्नानुसार है:

क्रमशः.....05

अवधि		विद्युत खपत का विवरण							औ0 पा0 फे0
से	तक	आधार	IR	FR	अंतर	MF	खपत	बिल यूनिट	((kWh/kVah)100)
मीटर संख्या—19628499:									
17.12.24	08.01.25	kWh	2186	2284	78	10	780		89.66 %
		kVAh	2264	2351	87	10	870	870	
08.01.25	07.02.25	kWh	2284	2330	46	10	460		69.70 %
		kVAh	2351	2417	66	10	660	660	
07.02.25	11.03.25	kWh	2330	2405	75	10	750		92.59 %
		kVAh	2417	2498	81	10	810	810	
11.03.25	05.04.25	kWh	2405	2535	130	10	1300		94.89 %
		kVAh	2498	2635	137	10	1370	1370	
05.04.25	08.05.25	kWh	2535	2692	157	10	1570		98.74 %
		kVAh	2635	2794	159	10	1590	1590	
08.05.25	16.08.25	kWh	2692	2990	298	10	2980		98.03 %
		kVAh	2794	3098	204	10	3040	3040	
मीटर संख्या—8101409:									
16.08.25	22.09.25	kWh	00	5.13	5.13	40	201.20		97.34 %
		kVAh	00	5.27	5.27	40	210.80	2108	
22.09.25	03.10.25	kWh	5.13	17.96	12.83	40	513		16.25 %
		kVAh	5.27	84.20	78.93	40	3157	3157	
03.10.25	05.11.25	kWh	17.96	25.48	7.52	40	301		2.59 %
		kVAh	84.20	374.11	289.91	40	11596	11596	
05.11.25	04.12.25	kWh	25.48	45.81	20.33	40	813		5.77 %
		kVAh	374.11	726.27	352.16	40	14086	14086	
04.12.25	03.01.26	kWh	45.81	73.81	28	40	1120		22.59 %
		kVAh	726.27	850.17	123.90	40	4956	4956	
03.01.26	02.02.26	kWh	73.81	102.65	28.84	40	1154		91.73 %
		kVAh	850.17	881.63	31.46	40	1259	1259	
02.02.26	02.03.26	kWh	102.65	135.70	33.04	40	1322		91.80 %
		kVAh	881.63	917.62	35.99	40	1440	1440	
02.03.26	07.04.26	kWh	135.70	167.79	32.09	40	1284		93.11 %
		kVAh	917.62	952.10	34.48	40	1379	1379	

उपरोक्त तालिका में अंकित विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर जारी विद्युत बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत स्मार्ट मीटर संख्या—8101409 की एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के अनुसार सही प्रतीत होती है। एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिनी द्वारा दिनांक 16.08.2025 से दिनांक 07.02.2026 तक की अवधि में, केडब्लू0 तथा केवीए0 आधार पर, परिवादिनी द्वारा उपभोग की गई अधिकतम विद्युत भार, निम्नानुसार है:

क्रमशः.....06

माह	अवधि		अधिकतम विद्युत भार			
	से	तक	kW	दिनांक	kVA	दिनांक
08 / 25	16.08.25	01.09.25	2.40	22.08.25	2.48	22.08.25
09 / 25	01.09.25	01.10.25	5.36	10.09.25	19.92	21.09.25
10 / 25	01.10.25	01.11.25	3.04	11.10.25	23.04	21.10.25
11 / 25	01.11.25	01.12.25	5.92	27.11.25	22.64	17.11.25
12 / 25	01.12.25	01.01.26	5.72	08.12.25	22.52	08.12.25
01 / 26	01.01.26	01.02.26	6.64	14.01.26	7.24	14.01.26
02 / 26	01.02.26	06.02.26	6.36	04.02.26	6.84	04.02.26

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान स्मार्ट मीटर संख्या—8101409 पर, माह 09 / 2025, 10 / 2025, 11 / 2025 तथा 12 / 2025 में, केडब्लू0 की तुलना में केवीए0 आधार पर, कमशः 271.64 प्रतिशत, 657.89 प्रतिशत, 282.43 प्रतिशत तथा 293.71 प्रतिशत अधिक, अधिकतम विद्युत भार का उपभोग किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी द्वारा दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 01.01.2026 तक की समयावधि में रिएक्टिव ऊर्जा (लीड) का उपभोग किया गया है। परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि में, औसत पावर फैक्टर में कमी दर्ज पाई गई है तथा केवीएएच आधार पर दर्ज की गई विद्युत खपत के अनुसार, विद्युत बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर गतिमान स्मार्ट मीटर संख्या—8101409 पर दर्ज विद्युत खपत (केवीएएच) के आधार पर, विद्युत बिल, परिवादिनी को जारी किए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित रेट शिड्यूल (Rate Schedule) के अनुसार, आरटीएस—05 (एलटी तथा एचटी इंडस्ट्री) के आधार पर विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं। अतः परिवादिनी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

21/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 91 / 2026 दिनांक : 02.07.2026

परिवादी :– श्री हाशिम पुत्र श्री सद्दीक, ग्राम–बुड्ढा हेडी मोहिउद्दीनपुर, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री हाशिम पुत्र श्री सद्दीक, ग्राम–बुड्ढा हेडी मोहिउद्दीनपुर, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–JW91201112261, स्वीकृत भार 5.00 एच0पी0 के सन्दर्भ में कथन किया है कि उन्होंने एक निजी नलकूप का कनैक्शन, वर्ष 2011 से ले रखा है। शुरूआत से ही आवश्यकता न होने के कारण विद्युत उपयोग बहुत कम रही है। मई 2013 के बाद से जून 2015 तक, एनआर के लगातार तीन बिल भेजे गए और उसके बाद जनवरी 2016 में जो बिल प्राप्त हुआ उसमें विभाग ने गलत रीडिंग–20019 भर कर बिल बना दिया गया। उसके बाद से लगातार, बिना मीटर देखे ही, गलत रीडिंग के बिल, विभाग लगातार भेजता रहा, जबकि रीडिंग देखने कोई भी रीडर नहीं आया। विभाग द्वारा, माह जून 2021 में उनके मीटर को खराब दिखा कर, माह दिसंबर 2024 तक लगातार आईडीएफ में बिल भेजा गया और माह जून 2025 में अचानक उनके मीटर की कुल रीडिंग 68375 दिखाकर, बिल रू0. 4691.00 से सीधा रू0. 71095.00 का, एक ही बार में बिल बनाकर दे दिया गया तथा माह दिसंबर 2025 में रू0. 73000.00 का बिल, यूपीसीएल ने थमा दिया जो कि सरासर विभाग की लापरवाही है यदि मीटर रीडर, रीडिंग देखने साइट पर जाता तो न तो गलत रीडिंग से बिल बनता और न ही आईडीएफ का बिल बनता और उनका बिल भी रू0. 73000.00 का नहीं बनता। उनके मीटर में 11 फरवरी 2026 को ली गई रीडिंग 10561 केडब्लूएच है और मीटर ठीक चल रहा है। मीटर का नं0 308996 है। अतः मंच से अनुरोध है कि माह जून 2015 के बाद से वर्तमान तक, वास्तविक रीडिंग 10561 पर, बिल को ठीक कराने और जो धनराशि पूर्व में विभाग में भुगतान की जा चुकी है वह समायोजित करवा कर बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा, पत्र संख्या 3891 दिनांकित 09.06.2026 के माध्यम से मंच को, उपभोक्ता नामे श्री हाशिम पुत्र श्री सद्धीक, ग्राम बुड्ढा हेडी मोहिउद्दीनपुर, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार के सापेक्ष, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बहादराबाद द्वारा प्रेषित पत्रांक 287 दिनांक 06.06.2026 के हवाले से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री हाशिम पुत्र श्री सद्धीक का संयोजन सं0 JW91201112261, मीटर नं0 308996 का विद्युत बिल, मीटर की एमआरआई के आधार पर सही कर दिया गया है। उपभोक्ता का विद्युत बिल रू0. 72872.00 का है। जो कि संशोधित कर रू0. 56190.00 का बना है।

क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री इनाम तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 5.00 एचपी विद्युत भार पर, दिनांक 26.09.2011 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 30.12.2020 तक एमयू आधार पर, दिनांक 25.06.2021 से दिनांक 24.12.2024 तक, लगातार 08 बिलिंग चक्रों हेतु, आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 16.06.2025 तथा दिनांक 22.12.2025 को, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विगत वर्षों में, विपक्षी विभाग द्वारा जारी विद्युत बिलों का विवरण, निम्नानुसार है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/छमाही)
26.09.11	12.03.12	05.53	00	809	809	878
12.03.12	17.09.12	06.13	809	2497	1688	1652
17.09.12	15.03.13	06.00	2497	3641	1144	1144
15.03.13	13.07.16	40.00	3641	20365	16724	2509
13.07.16	***22.06.18***	***23.30***	***20365***	***20601***	***236***	***61***
22.06.18	**19.12.18**	**05.90**	**20601**	**34996**	**14395**	**14639**
26.09.11	***19.12.18***	***86.86***	***00***	***34996***	***34996***	***2417***
19.12.18	30.12.20	24.36	34996	39451	4455	1097
30.12.20	24.12.24	47.80	39451	35451	7536(IDF)	946(IDF)
24.12.24	16.06.25	05.73	35451	68375	38941	30287
16.06.25	22.12.25	06.20	68375	68375	00	00
19.12.18	***22.12.25***	***84.09***	***34996***	***68375***	***33379***	***2382***
26.09.11	***22.12.25***	***170.86***	***00***	***68375***	***68375***	***2401***

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 13.07.2016 से दिनांक 22.06.2018 तक, लगभग 23.30 माह की अवधि में, कुल 236 (20601–20365) यूनिट की विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 23.30 माह की अवधि में, लगभग 61 यूनिट प्रति छमाही की दर से, विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 22.06.2018 से दिनांक 19.12.2018 तक, लगभग 5.90 माह की अवधि में, कुल 14395 (34996–20601) यूनिट की विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 5.90 माह की अवधि में, लगभग 14639 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं जो कि उक्त 61 यूनिट प्रति छमाही की तुलना में, 23898.36 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

क्रमशः.....03

उक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 26.09.2011 से दिनांक 19.12.2018 तक, लगभग 86.86 माह की अवधि में, कुल 34996 (34996–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 86.86 माह की अवधि में, लगभग 2417 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। उपरोक्त तालिका के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.12.2018 से दिनांक 30.12.2020 तक, लगभग 24.36 माह की अवधि हेतु, कुल 4455 (39451–34996) यूनिट की विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 24.36 माह की अवधि में, 1097 यूनिट प्रति छमाही की दर से, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं जो कि उक्त 2417 यूनिट प्रति छमाही की तुलना में 54.61 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 30.12.2020 से दिनांक 24.12.2024 तक, लगभग 47.80 माह की अवधि हेतु, कुल 7536 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, बिल परिवादी को जारी किए गए हैं। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 47.80 माह की अवधि हेतु, 946 यूनिट प्रति छमाही की दर से, विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 2417 यूनिट प्रति छमाही की तुलना में 60.86 प्रतिशत कम है।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 19.12.2018 से दिनांक 22.12.2025 तक, लगभग 84.09 माह की अवधि में, कुल 33379 (68375–34996) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 84.09 माह की अवधि में, लगभग 2382 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 2417 यूनिट प्रति छमाही की तुलना में सही प्रतीत होती है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, गतिमान मीटर संख्या–308996 में, समय–समय पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं।

पत्रावली में उपलब्ध मीटर संख्या–308996 की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न तिथियों में, उक्त मीटर पर, निम्नानुसार विद्युत खपत/रीडिंग दर्ज पायी गयी है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण		
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)
01.04.25	01.05.25	01	67246	67942	696
01.05.25	01.06.25	01	67942	68529	587
01.06.25	01.07.25	01	68529	69147	618
01.07.25	01.08.25	01	69147	69428	281
01.08.25	01.09.25	01	69428	69432	04
01.09.25	01.10.25	01	69432	69436	04
01.04.25	***01.10.25***	***06***	***67246***	***69436***	***2190***
01.10.25	01.11.25	01	69346	69570	134
01.11.25	01.12.24	01	69570	70000	430
01.12.24	01.01.26	01	70000	70215	215

क्रमशः.....04

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण		
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)
01.01.26	01 02.26	01	70215	*70460*	245
01.02.26	01.03.26	01	*70460*	*70756*	*296*
01.03.26	01.04.26	01	*70756*	*71213*	*457*
01.10.25	**01.04.26**	**06**	***69436***	***71213***	***1777***

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—308996 में, दिनांक 01.04.2025 को, मीटर रीडिंग/खपत—67246 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.12.2024 को जारी बिल में मीटर रीडिंग/खपत—39451 केडब्लूएच दर्शायी गई है। इसी प्रकार दिनांक 01.06.2025 को, उक्त मीटर में रीडिंग/खपत—68529 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है जलबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.06.2025 को जारी बिल में मीटर रीडिंग/खपत—68375 केडब्लूएच दर्शायी गई है जो कि उक्त 68529 केडब्लूएच से कम है। उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष, दिनांक 22.12.2025 को, विद्युत खपत/रीडिंग—68376 केडब्लूएच के आधार पर जारी किया बिल, सही प्रतीत होती है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 287 दिनांक 06.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को जारी बिलों को, एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है जिसे उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पुनः संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.06.2021 से दिनांक 24.12.2024 तक, लगातार 08 बिलिंग चक्रों हेतु, आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—308996 में समय—समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं। अतः विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.11.2011 से दिनांक 22.12.2025 तक जारी बिलों को, एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवधि में, मीटर संख्या—308996 पर दर्ज कुल विद्युत खपत के सापेक्ष, दर्ज (औसत मासिक/छमाही) औसत दर के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए गए जाने की आवश्यकता है। विपक्षी विभाग द्वारा, बिल संशोधन की प्रकिया में, दिनांक 22.01.2016 तक की अवधि हेतु, उक्त तिथि तक बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज, विलंब अधिभार शुल्क की धनराशि मात्र, तथा दिनांक 22.01.2016 के पश्चात, संशोधित बिल की धनराशि पर, नियमानुसार विलंब अधिभार शुल्क आरोपित किये जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः.....05

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह 10.11.2011 से दिनांक 22.12.2025 तक जारी बिलों को, एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवधि में, मीटर संख्या–308996 पर दर्ज कुल विद्युत खपत के सापेक्ष, दर्ज (औसत मासिक/छमाही) औसत दर के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए गए जाने की आवश्यकता है। विपक्षी विभाग द्वारा, बिल संशोधन की प्रक्रिया में, दिनांक 22.01.2016 तक की अवधि हेतु, उक्त तिथि तक बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज, विलंब अधिभार शुल्क की धनराशि मात्र, तथा दिनांक 22.01.2016 के पश्चात, संशोधित बिल की धनराशि पर, नियमानुसार, विलंब अधिभार शुल्क आरोपित किया जाना सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

02/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

02/07/2026

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

02/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

ORDER SHEET

Case No. ...112.../2026

Mrs. Anjana V/S EE, EDD, ...Jwalapur, Haridwar

Signature	Date	Order	Next Date
	14/7/26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी ने मंच के आदेश 5/5/26 व आदेश 19/5/26 का अनुपालन नहीं किया है। विपक्षी को पुनः नोटिस जारी किया जाये। पत्रावली दिनांक 21/7/26 को पेश हो।	
	21/7/26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी द्वारा अपना जवाब उपहार किया गया। विपक्षी द्वारा नोटिस का स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है परन्तु विपक्षी ने कोखाड़ी के मीटर को Configure किया जाने का कथन किया है। विपक्षी द्वारा उपहार Common Meter में मीटर खराब का कोई औचित्य होना चाहिये। विपक्षी उपभोक्ता विवाद में मीटर नं. सही दर्ज नहीं। तदनुसार नया मीटर का सत्यापन किया जाये।	

ORDER SHEET

Case No. 116 /2026

Smt. Usha Devi V/S EE, EDD, Jwalapur Haridwar

Signature	Date	Order	Next Date
		आदेश विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का निस्तारण कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 117/2026 दिनांक : 02.07.2026

परिवादी :– मै0 इनोडेफ (ओपीसी) प्रा0लि0 इंडस्ट्रियल स्टेट रायपुर, खाता नं0–301, खसरा नं0–203 एम, भगवानपुर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, भगवानपुर, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै0 इनोडेफ (ओपीसी) प्रा0लि0 इंडस्ट्रियल स्टेट रायपुर, खाता नं0–301, खसरा नं0–203 एम, भगवानपुर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–बीएच0के000210508 के सन्दर्भ कथन किया है कि उनके द्वारा, तीन माह पूर्व, 30 किलोवाट से 200 किलोवाट (एचटी), लोड वृद्धि का आवेदन किया था। तकनीकी रूप से, उनके विद्युत भार में वृद्धि की प्रकिया, दिनांक 31.01.2026 को सम्पादित की गई तथा ईटीडी रूड़की टीम द्वारा सीलिंग प्रमाणपत्र (पुस्तक संख्या 01, पृष्ठ संख्या 24) जारी किया गया। तीन माह पूर्व, 200 किलोवाट भार के सापेक्ष आवश्यक मीटरिंग उपकरण स्थापित किये जाने तथा सीलिंग प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरान्त भी, उनके मासिक विद्युत बिलों में पुराना स्वीकृत भार ही दर्शाया जा रहा है। उनके द्वारा बिलिंग को अपडेट किये जाने के लिए विद्युत विभाग को, कई बार कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नही की गई है। इस विसंगति के कारण, महत्वपूर्ण परिचालन बाधाएं उत्पन्न हुई और फिक्सड चार्जेज तथा डिमाण्ड पैनाल्टी के सापेक्ष आरोपित धनराशि के कारण त्रुटिपूर्ण बिलिंग की की सम्भावना बनी। अतः मंच से अनुरोध है कि बिलिंग सॉफ्टवेयर/डेटाबेस में स्वीकृत भार–200 किलोवाट दर्ज किये जाने, दिनांक 31.01.2026 के पश्चात जारी किए गए बिलो को वास्तविक विद्युत भार के सापेक्ष, लागू एचटी टैरिफ के आधार पर संशोधित किये जाने तथा सीलिंग प्रमाणपत्र में दर्ज नए सीटी/पीटी अनुपात (10/5ए) के अनुसार, सही एम.एफ., बिलिंग सिस्टम में दर्ज किये जाने हेतु, विपक्षी विभाग को निर्देशित किया जाये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 3483 दिनांकित 02.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता मै0 इनोडेफ (ओपीसी) प्रा0लि0 इण्डस्ट्रियल स्टेट, रायपुर, खाता नं0–301, खसरा नं0–203 एम, भगवानपुर, जिला–हरिद्वार, विद्युत संयोजन सं0–बीएच0के000210508, स्वीकृत भार 200 केवीए, दिनांक 07.01.2025 से, औद्योगिक विधा में ऊर्जीकृत है। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 01/24 दिनांक 31.01.2026 के माध्यम से, सम्बंधित विद्युत संयोजन

क्रमशः.....02

का स्वीकृत भार 30 किलोवाट को, 200 केवीए किया गया। शिकायतकर्ता को, तकनीकी त्रुटि के कारण 30 किलोवाट विद्युत भार के बिल निर्गत हुए हैं। प्रकरण के संज्ञान में आने पर, उपाकालि मुख्यालय में स्थित तकनीकी अनुभाग में सम्पर्क करते हुए, उक्त तकनीकी त्रुटि का निवारण कर दिया गया है। वर्तमान में शिकायतकर्ता के संयोजन से सम्बंधित खातों एवं बिल विवरण में स्वीकृत भार 200 केवीए परिलक्षित हो रहा है। शिकायकर्ता का माह 05/2026 के बीजक निर्गत होने के उपरांत, पूर्ववर्ती बिलों को संशोधित करने के उपरांत, वांछित समायोजन प्रदान कर दिया जायेगा।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री शांतनु तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री सजल हटवाल उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 30.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 07.10.2025 को निर्गत किया गया है। वर्तमान में परिवादी का अनुबंधित विद्युत भार 200.00 किलोवाट है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 06.05.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष स्वीकृत विद्युत भार–30 किलोवाट को, बढ़ाकर, दिनांक 31.01.2026 को, 200.00 किलोवाट किया गया है। परंतु विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.02.2026, दिनांक 10.03.2026 तथा दिनांक 07.04.2026 को जारी बिलों में, अनुबंधित विद्युत भार 30.00 किलोवाट दर्शाया गया है तथा परिवादी को जारी बिलों में, Demand Charges for Excess Load की गणना 30.00 किलोवाट/36.00 केवीए के आधार पर की गई है।

इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 3483 दिनांक 02.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि त्रुटिवश परिवादी के बिलों में, अनुबंधित भार 200.00 किलोवाट के स्थान पर 30.00 किलोवाट दर्शाया गया है जिसे ठीक करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन से संबंधित अभिलेखों में, अनुबंधित भार, 200.00 किलोवाट कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, साक्ष्य के रूप में परिवादी के प्रश्नगत संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री तथा लेजर की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन से संबंधित अभिलेखों में, अनुबंधित भार, 30.00 किलोवाट के स्थान पर, 200.00 किलोवाट दर्ज करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 31.01.2026 के पश्चात जारी बिलों को, अनुबंधित भार 200.00 किलोवाट के सापेक्ष, नियमानुसार, संशोधित करते हुए, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 31.01.2026 के पश्चात जारी बिलों को, अनुबंधित भार 200.00 किलोवाट के सापेक्ष, नियमानुसार, संशोधित करते हुए, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

02/07/2026

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

02/07/2026

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 122 / 2026 दिनांक : 14.07.2026

परिवादी :– मै0 मोड ऑटोमॉबाईल प्रा0 लि0, प्लॉट नं0 ई–31, इण्डस्ट्रियल एरिया बहादराबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै0 मोड ऑटोमॉबाईल प्रा0 लि0, प्लॉट नं0 ई–31, इण्डस्ट्रियल एरिया बहादराबाद, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000008866, के सन्दर्भ कथन किया है कि उनके द्वारा, पूर्व में एक वाद संख्या–260 / 2025, मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें मंच द्वारा दिनांक 31.03.2026 को उपभोक्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया। किंतु खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उक्त आदेश के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा आज दिनांक तक आदेश का पालन नहीं किया गया है। यह न केवल मंच के आदेश की अवहेलना है, बल्कि उपभोक्ता के अधिकारों का भी उल्लंघन है। अतः मंच से अनुरोध है कि मंच के आदेश का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें एवं विद्युत विभाग द्वारा, पत्रांक 2359 दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से रू0. 135589.00 का लगाया गया जुर्माना भी ठीक करवाने का कष्ट करवा दिया जाए तथा जब तक उक्त आदेश का पालन नहीं हो जाता तब तक उनका संयोजन काटा नहीं जाए। वह अभी करंट बिल को जमा करवाना चाहते हैं। अतः उन्हें करंट बिल ऑनलाइन जमा करने की अनुमति दी जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 3555 दिनांकित 25.05.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि मै मोड ऑटोमोबाईल प्रा0 लि0, ई–31, इण्डस्ट्रियल ऐरिया, बहादराबाद, हरिद्वार, विधा STN-72/NEW RTS-5 GENERAL LT INDUSTRY ABOVE 25KW, स्वीकृत लोड़ 75 किलोवाट क़ा संयोजन, दिनांक 24 फरवरी 2010 से चला आ रहा है। उक्त संयोजन 0.4 के0वी0 पर है जिस पर स्मार्ट मीटर संख्या 8101408 स्थापित है तथा एम0एफ0 40 है। उक्त में एक वाद संख्या 260 / 2025 में, मंच द्वारा दिनांक 31.03.2026 को पारित आदेश के माध्यम से विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 03.09.2025 से 02.03.2026 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 31.07.2025 से दिनांक 15.08.2025 तक की अवधि हेतु परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–14821 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 15.08.2025 से दिनांक 28.02.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या

क्रमशः.....02

8101408 पर दर्ज विद्युत खपत एवं चैक मीटर संख्या–8104050 की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, परिवादी को संशोधित बिल जारी करे। मंच को अवगत कराया गया है कि वाद संख्या 260/2025 में पारित मंच के आदेश के क्रम में, दिनांक 12.12.2025 को वादी के संयोजन संख्या–केडब्लू0के000008866 पर स्थापित स्मार्ट मीटर संख्या 8101408 के सापेक्ष, दिनांक 05.02.2026 को, चैक मीटर संख्या 8104050, सिलिंग प्रमाण पत्र 23/19 दिनांक 05.02.2026 के माध्यम से स्थापित किया गया। तथा वादी के उक्त संयोजन संख्या पर स्थापित स्मार्ट मीटर संख्या 8101408 के सापेक्ष दिनांक 26.02.2026 को चैक मीटर संख्या 8104050, सिलिंग प्रमाण पत्र 23/26 दिनांक 26.02.2026 के माध्यम से चैक मीटर फाइनल किया गया। जिसमें मेन मीटर द्वारा, चैक मीटर की तुलना में 33.9 प्रतिशत केडब्लूएच में व 31.76 प्रतिशत केवीएएच में, कम विद्युत खपत रिकार्ड किया गया। उक्त के क्रम में वादी को पत्रांक 2359 दिनांक 24.03.2026 के द्वारा रू0. 135589.00 नोटिस प्रेषित किया गया था तथा दिनांक 26.03.2026 को वादी के बिल में जोड़ दिया गया। वादी के उक्त संयोजन संख्या के लेजर की प्रति दाखिल की गई है। वादी का संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000008866 वर्तमान में चालू है तथा Online Part-Payment की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाद 260/2025 में मंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2026 का पालन पहले ही कर दिया गया था तथा वादी का विद्युत बिल सही है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री महेश यादव तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्री एस0के0गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 75.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 24.02.2010 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 06.05.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–14821 को, स्मार्ट मीटर संख्या–8101408 द्वारा, दिनांक 15.08.2025 को प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, चैक मीटर संख्या–8104050, दिनांक 05.02.2026 को स्थापित किया गया जिसे दिनांक 26.02.2026 को, फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मेन मीटर संख्या–8101408 तथा चैक मीटर संख्या–8104050 पर निम्नानुसार, विद्युत खपत दर्ज पाई गई है:

विवरण	मेन मीटर–8101408						चैक मीटर–8104050	
	आयातित ऊर्जा		निर्यातित ऊर्जा		आयातित + निर्यातित			
	kWh	kVAh	kWh	kVAh	kWh	kVAh	kWh	kVAh
26.02.26	595.10	1185.80	476.10	617.20	1071.20	1803.00	62.20	102.30
05.02.26	554.00	1116.00	454.00	584.70	1008.00	1700.70	00	00
अंतर	**41.10**	**69.80**	**22.10**	**32.50**	**63.20**	**102.30**	**62.20**	**102.30**
गुणांक (M.F.)	40	40	40	40	40	40	40	40
विद्युत खपत	1644	2792	884	1300	2528	4092	2488	4092
औ0 पावर फैक्टर	58.88 %				61.78 %		60.80 %	

क्रमशः.....03

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि चैक मीटर संख्या—8104050 तथा मेन मीटर संख्या—8101408 पर, केडब्लूएच तथा केवीएएच आधार पर दर्ज विद्युत खपत के सापेक्ष, औसत पावर फैक्टर, क्रमशः 68.80 प्रतिशत तथा 61.78 (58.88) प्रतिशत आंका गया है जो कि सही प्रतीत होता है। उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है परिवादी के संयोजन में गतिमान मीटर संख्या—8101408 पर, दिनांक 05.02.2026 से दिनांक 26.02.2026 तक की अवधि में, इंपोर्ट एनर्जी के सापेक्ष, कुल 2792 केवीएएच की विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि चैक मीटर संख्या—8104050 पर, उक्त अवधि में, कुल 4092 केवीएएच की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार, उक्त मेन मीटर संख्या—8101408 पर, इंपोर्ट एनर्जी के सापेक्ष, कुल 1300 (4092—2792) केवीएएच कम विद्युत खपत दर्ज की गई है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उक्त कम विद्युत खपत की मात्रा—1300 (4092—2792), केवीएएच, मेन मीटर में एक्सपोर्ट एनर्जी के सापेक्ष दर्ज की गई है जिसे विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। इस प्रकार, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मेन मीटर संख्या—8101408 पर, बिलिंग हेतु, चैक मीटर की तुलना में, लगभग 31.76 ((1300/4092)100) % कम, विद्युत खपत दर्ज की गई है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर, विपक्षी विभाग द्वारा, मेन मीटर संख्या—8101408 में, इंपोर्ट एनर्जी के सापेक्ष दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी करते हुए, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत से 31.76 प्रतिशत कम विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 15.08.2025 (मेन मीटर संख्या—8101408 को स्थापित किए जाने की तिथि) से दिनांक 26.02.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत के सापेक्ष, बिलिंग हेतु अवशेष 31.76 प्रतिशत विद्युत खपत के विरूद्ध, रू0 135588.56 की धनराशि का निर्धारण किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—8101408 में, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत के सापेक्ष कम दर्ज—31.76 प्रतिशत विद्युत खपत के विरूद्ध, विद्युत मूल्य आदि मद में रू0 135588.56 की धनराशि का निर्धारण किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14/07/2026

(संजीव कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

14/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 126/2026 दिनांक : 02.07.2026

परिवादी :– श्री अमर पुत्र स्व0 चन्द्रभान, निवासी ग्राम प्रतापपुर, पोस्ट खानपुर, बह्मपुर, लक्सर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अमर पुत्र स्व0 चन्द्रभान, निवासी ग्राम प्रतापपुर, पोस्ट खानपुर, बह्मपुर, लक्सर, जिला–हरिद्वार के द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–एलके21434516162 के सन्दर्भ कथन किया है यह संयोजन का उपयोग, उनके द्वारा किया जा रहा है। उनके बिल में रीडिंग 2822 से 30313 कर दिये जाने के कारण, उनका बिजली का बिल काफी बढ़ गया। विभाग द्वारा उनका संयोजन भी काट दिया गया है। विभाग द्वारा उनका मीटर दिसम्बर 2025 में उतार लिया गया था। विभाग द्वारा चैक मीटर भी लगाया गया था, जब भी बिल सही नहीं हुआ। अतः मंच से अनुरोध है कि बिल को सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 264 दिनांकित 09.06.2026 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत संयोजन संख्या एलके21434516162 स्थापित है जिसे विद्युत बिल की बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण, उच्चाधिकारी के निर्देशो के पालन में, विच्छेदित कर दिया गया था। उक्त परिसर पर विद्युत परीक्षणशाला, लक्सर द्वारा संयोजन संख्या एलके21434516162 पर चैक मीटर भी स्थापित किया गया। अवर अभियंता श्री मनोज सैनी (9412073437) ने विच्छेदन के समय मीटर सं0 जीयू169460 को, रीडिंग 616 केडब्लूएच पर डिसमेंटल किया गया। मीटर नं0 जीयू169460 संयोजन संख्या एलके21434516162 के अभिलेखो पर अभी परिलक्षित नही हो रहा है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री अमर उपस्थित तथा विपक्षी अनुपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 2.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 22.04.2019 को, श्री चंद्रभान के नाम पर निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.06.2025 तक एमयू आधार पर, दिनांक 12.07.2025 को एनए आधार पर, दिनांक 11.08.2025 से दिनांक 14.12.2025 तक, लगातार 04 बिलिंग चक्रों के लिए आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, विद्युत बिल की बकाया धनराशि के विरूद्ध, परिवादी का प्रश्नगत संयोजन, दिनांक 17.01.2026 को अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है।

क्रमशः.....02

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा विगत वर्षों में जारी विद्युत बिलों का विवरण, निम्नानुसार है:

अवधि			विद्युत खपत / रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट / माह)
22.04.19	14.06.19	1.73	00	381	381	220
14.06.19	21.12.19	6.23	381	906	525	84
21.12.19	18.06.20	5.90	906	1284	378	64
18.06.20	17.12.20	6.00	1284	2025	741	124
17.12.20	13.08.21	7.86	2025	2781	756	96
22.04.19	***13.08.21***	***27.72***	***00***	***2781***	***2781***	***100***
13.08.21	***17.05.24***	***33.13***	***2781***	***2781***	***00***	***00***
17.05.24	08.06.24	0.70	2781	2822	41	59
08.06.24	08.07.24	1.00	2822	2822	00	00
08.07.24	15.09.24	2.23	2822	23307	3629	1627
22.04.19	***15.09.24***	***64.76***	***00***	***23307***	***23307***	***360***
15.09.24	14.10.24	1.00	2822	6451	3629	3629
14.10.24	12.11.24	0.93	6451	29872	1525	1640
12.11.24	09.12.24	0.90	7976	30158	1520	1578
09.12.24	11.01.25	1.06	9396	30178	835	1633
11.01.25	10.03.25	2.00	11131	30215	7732	3866
10.03.25	11.05.25	2.00	18863	30267	10993	5497
11.05.25	12.06.25	1.00	29856	30313	757	557
15.09.24	***12.06.25***	***9.00***	***23307***	***30313***	***7006***	***778***
22.04.19	***12.06.25***	***73.66***	***00***	***30313***	***30313***	***412***
12.06.25	14.12.25	6.00	30313	30313	4100	683

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 22.04.2019 से दिनांक 13.08.2021 तक, लगभग 27.72 माह की अवधि में, कुल 2781 (2781–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 27.72 माह की अवधि में, लगभग 100 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 13.08.2021 से दिनांक 17.05.2024 तक, लगभग 33.13 माह की अवधि हेतु, शून्य विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं। इसी प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.06.2024 से दिनांक 08.07.2024 तक, एक माह की अवधि हेतु

क्रमशः.....03

शून्य विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.07.2024 से दिनांक 15.09.2024 तक, लगभग 2.23 माह की अवधि हेतु, कुल 20485 (23307—2822) यूनिट के स्थान पर 3629 यूनिट की विद्युत खपत का बिल, सिलिंग आधार पर जारी किया गया है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 22.04.2019 से दिनांक 15.09.2024 तक, लगभग 64.76 माह की अवधि में, कुल 23307 (23307—00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 64.76 माह की अवधि में, लगभग 360 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 15.09.2024 से दिनांक 12.06.2025 तक, लगभग 09माह की अवधि में, कुल 7006 (30313—23307) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 09 माह की अवधि में, लगभग 778 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 360 यूनिट प्रति माह की तुलना में, 116.11 प्रतिशत अधिक है। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 22.04.2019 से दिनांक 12.06.2025 तक, लगभग 72.66 माह की अवधि में, कुल 30313 (30313—00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 72.66 माह की अवधि में, लगभग 412 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर में, समय—समय पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल, परिवादी को जारी नहीं किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 14.06.2019 से दिनांक 12.06.2025 तक जारी बिलों को, परिवादी द्वारा दिनांक 22.04.2019 से दिनांक 12.06.2025 तक (73.66 माह) की अवधि में दर्ज की गई कुल विद्युत खपत—30313 यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 12.06.2025 से दिनांक 14.12.2025 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों को उक्त औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है। विपक्षी विभाग द्वारा, बिल संशोधन की प्रकिया में दिनांक 15.09.2024 तक की अवधि हेतु, बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज विलंब अधिभार शुल्क की धनराशि मात्र एवं दिनांक 15.09.2024 के पश्चात संशोधित बिल की धनराशि पर नियमानुसार विलंब अधिभार शुल्क आरोपित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 14.06.2019 से दिनांक 12.06.2025 तक जारी बिलों को, परिवादी द्वारा दिनांक 22.04.2019 से दिनांक 12.06.2025 तक (73.66 माह) की अवधि में दर्ज की गई कुल विद्युत खपत—30313 यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 12.06.2025 से दिनांक 14.12.2025 तक, आरडीएफ आधार पर जारी बिलों को उक्त औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे तथा बिल संशोधन की प्रकिया में दिनांक 15.09.2024 तक की अवधि हेतु, बिलिंग हिस्ट्री में दर्ज विलंब अधिभार शुल्क की धनराशि मात्र एवं दिनांक 15.09.2024 के पश्चात संशोधित बिल की धनराशि पर, नियमानुसार विलंब अधिभार शुल्क आरोपित किया जाना सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

02/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

02/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 127/2026 दिनांक : 21.07.2026

परिवादी :– श्री लखबीर सिंह पुत्र स्व0 सोहन सिंह, निवासी रानीपुर झाल, तहसील व जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री लखबीर सिंह पुत्र स्व0 सोहन सिंह, निवासी रानीपुर झाल, तहसील व जिला–हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू61225122219, के सन्दर्भ कथन किया है उनकी दुकान पर 2.00 किलोवाट का विद्युत संयोजन लगा हुआ है, माह मार्च से दुकान बन्द चली आ रही है, दिनांक 28.04.2025 को 4639 यूनिट से 5088 यूनिट, दिनांक 25.05.2025 को 5088 यूनिट से 5088 यूनिट की विद्युत खपत का बिल प्राप्त हुआ है, दिनांक 25.07.2025 को, आईडीएफ आधार पर जारी गलत बिल प्राप्त हुआ है। माह जून में नया बिल प्राप्त हुआ जोकि आईडीएफ दिखाकर गलत बनाया गया है। मीटर रीडर से पूछने पर बताया गया कि यह बिल अगली तारीख पर सही हो जायेगा, लेकिन अगले माह भी आईडीएफ दिखाकर गलत बिल जारी हुआ। मीटर रीडर से बात करने पर, मीटर बदलने पर बिल के ठीक होने का आश्वासन दिया गया, जिसकी सूचना फोन पर उनके द्वारा देहरादून मुख्यालय को, समय–समय पर दी गयी और विभाग के द्वारा नया मीटर लगा दिया गया, लेकिन आज तक उनका बिल सही नहीं किया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके बिल को सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4257 दिनांकित 23.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि:–

वादी के संयोजन सं0–जेडब्लू61225122219 नामें श्री लखबीर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी–रानीपुर झाल बहादराबाद, हरिद्वार विद्या–घरेलू स्वीकृत भार–02 किलोवाट, संयोजन दिनांक 20.04.2012 से चला आ रहा है।

वादी के संयोजन सं0–जेडब्लू61225122219 मीटर नं0 5775600 का माह 08/2025, अवधि दिनांक 25.07.2025 से दिनांक 25.08.2025 तक (जारी करने की दिनांक 27.08.2025), आईडीएफ आधार पर 883 यूनिट व Maximum Demand 0 KW का बिल, रू0. 7277.00 है।

वादी के संयोजन सं0–जेडब्लू61225122219 मीटर नं0 5775600 का माह 07/2025, अवधि दिनांक 25.06.2025 से दिनांक 25.07.2025 तक (जारी करने की दिनांक 27.07.2025), आईडीएफ आधार पर 1628 यूनिट व Maximum Demand 0 KW का बिल रू0. 9964.00 है।

क्रमशः.....02

वादी के संयोजन सं0–जेडब्लू61225122219 मीटर नं0 5775600 का माह 05/2025, अवधि दिनांक 28.04.2025 से दिनांक 25.05.2025 तक (जारी करने की दिनांक 27.05.2025), मीटर यूनिट आधार पर 0 यूनिट व Maximum Demand 0 KW का बिल, रू0. 180.00 है।

वादी के संयोजन सं0–जेडब्लू61225122219 मीटर नं0 5775600 का माह 04/2025, अवधि दिनांक 20.03.2025 से दिनांक 28.04.2025 तक (जारी करने की दिनांक 28.04.2025), मीटर यूनिट आधार पर 452 यूनिट व Maximum Demand 0 KW का बिल, रू0. 3535.00 है।

वादी के संयोजन सं0–जेडब्लू61225122219 मीटर नं0 5775600 का माह 03/2025, अवधि दिनांक 23.02.2025 से दिनांक 20.03.2025 तक (जारी करने की दिनांक 20.03.2025), मीटर यूनिट आधार पर 962 यूनिट व Maximum Demand 0 KW का बिल, रू0. 6540.00 है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री लखवीर सिंह तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता(राजस्व) श्री एस0 के0 गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 20.04.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.05.2025 तक, एमयू आधार पर, दिनांक 02.07.2025 को एनआर आधार पर, दिनांक 25.07.2025 से दिनांक 29.12.2025 तक, लगातार 5 बिलिंग चक्रों हेतु, आईडीएफ आधार पर, दिनांक 01.02.2026 तथा दिनांक 02.03.2026 को एमसी आधार पर, तद्पश्चात दिनांक 07.04.2026 से दिनांक 04.07.2026 तक एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, माह अप्रैल 2025 से प्रश्नगत परिसर (दुकान) बंद होने के बावजूद, दिनांक 28.04.2025 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत–452 (5088–4636) यूनिट तथा दिनांक 02.07.2025 से दिनांक 29.12.2025 तक, एनआर/आईडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष निर्धारण के आधार पर दर्शायी गई विद्युत खपत को विवादित ठहराया गया है।

परिवादी के संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–193181 को, दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत, दिनांक 09.01.2026 को, स्मार्ट मीटर संख्या–5775600 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर संख्या–193181 पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग–4636 केडब्लूएच तक की विद्युत खपत के सापेक्ष, दिनांक 20.03.2025 को, कुल रू0 30772.00 (बकाया सहित) की धनराशि का विद्युत बिल, परिवादी को जारी किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त बिल की धनराशि रू0 30772.00 के सापेक्ष, रू0 30000.00 की धनराशि का भुगतान, दिनांक 30.03.2025 को किया गया है।

विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर संख्या–193181 पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग–5088 केडब्लूएच के आधार पर, दिनांक 28.04.2025 को, कुल 452 (5088–4636) यूनिट की विद्युत खपत का बिल, परिवादी को जारी किया गया है जिसका भुगतान परिवादी द्वारा नहीं किया गया है। तद्पश्चात परिवादी के संयोजन पर स्थापित उक्त मीटर संख्या–193181 के दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत दिनांक 25.05.2025 से दिनांक 09.01.2026 तक, लगभग 7.46 माह की अवधि हेतु, एनआर/आईडीएफ आधार पर, कुल 5322 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, अनंतिम बिल परिवादी को जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 7.46 माह की अवधि हेतु, लगभग 713 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जबकि परिवादी के कथनानुसार, परिवादी का परिसर, माह अप्रैल 2025 से बंद की स्थिति में है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 22.11.2024 से दिनांक 28.04.2025 तक की अवधि के अलावा, अनुबंधित/स्वीकृत विद्युत भार के सापेक्ष

क्रमशः.....03

काफी कम विद्युत का उपभोग किया गया है। परिवादी द्वारा, दिनांक 09.01.2026 को स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के उपरांत, दिनांक 30.06.2026 तक, लगभग 5.70 माह की अवधि में, कुल 105 (105–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 5.70 माह की अवधि में, लगभग 18 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 713 यूनिट प्रति माह की तुलना में 97.75 प्रतिशत कम है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.05.2025 से दिनांक 29.12.2025 तक, लगातार 6 बिलिंग चक्रों हेतु, एनआर/आईडीएफ आधार पर अनंतिम विद्युत बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 25.05.2025 से दिनांक 04.07.2026 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 28.04.2025 से दिनांक 09.01.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5775622 पर, दिनांक 09.01.2026 से दिनांक 30.06.2026 (04.07.2026) तक की अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत–105 (105–00) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 09.01.2026 से दिनांक 30.06.2026 (04.07.2026) तक की अवधि हेतु, उक्त स्मार्ट मीटर संख्या–5775600 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 25.05.2025 से दिनांक 04.07.2026 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 28.04.2025 से दिनांक 09.01.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5775622 पर, दिनांक 09.01.2026 से दिनांक 30.06.2026 (04.07.2026) तक की अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत–105 (105–00) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 09.01.2026 से दिनांक 30.06.2026 (04.07.2026) तक की अवधि हेतु, उक्त स्मार्ट मीटर संख्या–5775600 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

21/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 128/2026 दिनांक : 04.07.2026

परिवादी :– श्रीमती अफसाना पत्नी श्री भुरा, मोहल्ला–मानक चौक, मंगलौर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती अफसाना पत्नी श्री भुरा, मोहल्ला–मानक चौक, मंगलौर, जिला–हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–आरडी11721177916 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्हे उक्त संयोजन की पी0डी0 करानी है। संयोजन का बिल गलत एवं अधिक बना हुआ है। उनका गलत बिल सही कर उन्हे प्रेषित करा दिया जाये जिससे वह सही बिल जमा कर सके। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवाकर उक्त संयोजन को पी0डी0 करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के द्वारा पत्र संख्या 4019 दिनांकित 01.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी11721177916, श्रीमती अफसाना पत्नी श्री भूरा, मौहल्ला मानक चौक, मंगलौर, जिला हरिद्वार के नाम, घरेलू उपयोग हेतु, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 30.06.2018 को निर्गत किया गया है। विद्युत उपखण्ड अधिकारी के अनुसार, उक्त संयोजन के सापेक्ष, आईडीएफ आधार पर जारी बीजकों को, पिछले 3 एमयू बीजकों के आधार पर, माह 02/2020 से माह 12/2023 तक की अवधि हेतु संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी11721177916 का बीजक, की धनराशि, संशोधित किये जाने के उपरान्त, रू0 62805.00 है जोकि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। उक्त संयोजन के सापेक्ष, पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान किये जाने के पश्चात तथा स्थायी विच्छेदन शुल्क जमा किये जाने पर, संयोजन के स्थायी विच्छेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

मंच के समक्ष परिवादिनी अनुपस्थित तथा विपक्षी की आरे से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 30.06.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 31.01.2020 तक, एमयू0 आधार पर, दिनांक 26.03.2020 से दिनांक 03.08.2023 तक, लगातार 21 बिलिंग चक्रो हेतु एनआर0 आधार पर, तत्पश्चात, दिनांक 16.09.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक, लगातार

क्रमशः.....02

04 बिलिंग चक्रो हेतु आईडीएफ0 आधार पर, बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 26.03.2020 से दिनांक 31.12.2023 तक की अवधि में, लगातार 25 बिलिंग चक्रो हेतु एनआर0/आईडीएफ0 आधार पर, अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, विगत वर्षों में जारी बिलों का विवरण, निम्नानुसार है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
30.06.18	12.09.18	2.40	01	255	254	106
12.09.18	10.01.19	4.00	255	482	227	57
10.01.19	05.07.19	5.83	482	826	344	59
05.07.19	31.01.20	6.86	826	1312	486	71
30.06.18	***31.01.20***	***19.00***	***01***	***1312***	***1312***	***69***
31.01.20	***16.09.23***	**43.50**	**1312**	**1312**	**17424** (NR/IDF)	**401**
16.09.23	31.12.23	3.50	1312	1312	1202 (IDF)	343

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी द्वारा, दिनांक 30.06.2018 से दिनांक 31.01.2020 तक, लगभग 19.00 माह की अवधि में, कुल 1311(1312–01) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 19.00 माह की अवधि में, लगभग 69 यूनिट प्रति माह की औसत दर से, विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 31.01.2020 से दिनांक 16.09.2023 तक, लगभग 43.50 माह की अवधि हेतु, एनआर0/आईडीएफ0 आधार पर जारी बिलो के सापेक्ष, कुल 17424 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, विद्युत बिल, परिवादी को जारी किये गये गये है। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 43.50 माह की अवधि हेतु, लगभग 401 यूनिट प्रति माह की औसत दर से, विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है। जो कि उक्त 69 यूनिट प्रति माह की तुलना में, 481.16 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.09.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक, लगभग 03.50 माह की अवधि हेतु, आईडीएफ0 आधार पर जारी बिलो के सापेक्ष , कुल 1202 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, विद्युत बिल, परिवादी को जारी किये गये गये है। इस प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 03.50 माह की अवधि हेतु, लगभग 343 यूनिट प्रति माह की औसत दर से, विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है। जो कि उक्त 69 यूनिट प्रति माह की तुलना में, 397.10 प्रतिशत अधिक है। इसी क्रम में, विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4019 दिनांक 01.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि एनआर0/आईडीएफ0 आधार पर जारी बिलो को, दिनांक 22.09.2019, दिनांक 29.11.2019 तथा दिनांक 31.01.2020 को जारी बिलो में दर्शायी गयी विद्युत खपत के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल परिवादी को जारी कर दिया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में, विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल संशोधन की गणना सीट के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.09.2019, दिनांक 29.11.2019 तथा दिनांक 31.01.2020 को जारी बिलों में दर्शायी गयी विद्युत खपत–486(260+99+127) यूनिट, परिवादी द्वारा कुल 128 दिनों की अवधि में की गयी है। जबकि परिवादी द्वारा उक्त 486 यूनिट की विद्युत खपत, दिनांक 05.07.2019 से दिनांक 31.01.2020 तक, कुल 210 दिनो की अवधि में की गयी है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 210 दिनों की अवधि में, लगभग

क्रमशः.....03

2.31 यूनिट प्रतिदिन अर्थात लगभग 70 यूनिट प्रतिमाह की औसत दर से, विद्युत खपत दर्ज की गई है। जो कि विपक्षी विभाग द्वारा आगणित 116 यूनिट प्रति माह की तुलना में, 39.66 प्रतिशत कम है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल संशोधन की गणना सीट के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि बिल संशोधन की प्रकिया में, विलम्ब अधिभार शुल्क की गणना, सम्पूर्ण अवधि के सापेक्ष की गयी है। जो सही प्रतीत नही होती है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधित बिल को, उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में पुनः संशोधित किये जाने की आवश्यकता हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 26.03.2020 से दिनांक 31.12.2023 तक की अवधि में, लगातार 25 बिलिंग चक्रो हेतु एनआर0/आईडीएफ0 आधार पर, अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 31.01.2020 से दिनांक 31.12.2023(03.01.2024) तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा दिनांक 05.07.2019 से दिनांक 31.01.2020 तक, कुल 210 दिनो की अवधि में दर्ज की गई कुल विद्युत खपत—486(260+99+127) यूनिट के सापेक्ष, दर्ज औसत मासिक (70 यूनिट) विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करते हुए, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन को, नियमानुसार, स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने की कार्यवाही, सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 31.01.2020 से दिनांक 31.12.2023(03.01.2024) तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा दिनांक 05.07.2019 से दिनांक 31.01.2020 तक, कुल 210 दिनो की अवधि में दर्ज की गई कुल विद्युत खपत—486(260+99+127) यूनिट के सापेक्ष, दर्ज औसत मासिक(70 यूनिट) विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे तथा परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन को, नियमानुसार, स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने की कार्यवाही, सुनिश्चित करें। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	04/07/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	04/07/2026 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 130/2026 दिनांक : 28.07.2026

परिवादी :– श्री पितम सिंह पुत्र श्री खासेराम व अन्य, ग्राम–बुड़पुर जट, पोस्ट नारसर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री पितम सिंह पुत्र श्री खासेराम व अन्य, ग्राम–बुड़पुर जट, पोस्ट नारसर, रूड़की, जिला–हरिद्वार के द्वारा नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ कथन किया है ग्राम बुड़पुर जट, पोस्ट नारसर, हरिद्वार के किसान ने अपने खेत में आवासीय कॉलोनी काटी है जिसमे व्यक्तियों ने प्लाट लेकर मकान बना लिए हैं समस्या यह है कि आवासीय कॉलोनी में रह रहे व्यक्तियों को घरेलू विद्युत संयोजन की आवश्यकता है परंतु विभागीय अधिकारी संयोजन ना ही दे रहे हैं और ना ही मना कर रहे हैं और ना ही संयोजन नहीं देने का कारण बता रहे हैं। आवेदन के लिए विद्युत विभाग ने जो दस्तावेज मांगे हैं वह सब फॉरमल्टी के सभी डोक्युमेंट पूरे कर लिखित में प्रार्थना पत्र के साथ एफीडेबिट आदि सभी कागज दिये गये हैं परंतु आज तक भी मौके पर विद्युत विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी नहीं आया है। जबकि विद्युत विभाग की विद्युत लाइन एक किसान की ट्यूबवैल पर चल रही है, विभाग चाहे तो ट्यूबवैल से उन्हें विद्युत संयोजन दे सकता है। बस्ती में रहने वाले व्यक्ति बहुत गरीब हैं। इसलिए विभाग द्वारा इतनी समय लगाया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि बस्ती में रह रहे व्यक्तियों को विद्युत संयोजन प्रदान करवाए जाए एवं विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही की जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4469 दिनांकित 22.06.2026 के माध्यम से, वादी श्री पितम सिंह, ग्रामीण, रूड़की द्वारा दर्ज शिकायत के संबंध में अवगत कराया गया है कि:

> शिकायत पत्र में वर्णित व्यक्तियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड मंगलौर कार्यालय में विद्युत के नये संयोजन हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया है। सम्बंधित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुरोध पत्र का संज्ञान लेते हुए अवर अभियंता, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, गुरूकुल नारसन द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि साईट पर एक नयी कालोनी का निर्माण हुआ है। नई कालोनी का विद्युतीकरण किये जाने हेतु अवर अभियंता, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, गुरूकुल नारसन द्वारा विद्युत लाइन के निर्माण हेतु प्राक्कलन बनाया गया है।

क्रमशः.....02

उक्त प्राक्कलन को उच्च अधिकारियों से अनुमोदन के पश्चात संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्राक्कलन धनराशि जमा कराये जाने एवं विद्युत के नये संयोजन हेतु आवेदन किये जाने के उपरांत विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

मंच के समक्ष परिवादी श्री पितम सिंह तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी श्री पितम सिंह पुत्र श्री खासेराम व अन्य, ग्राम—बुड़पुर जट, पोस्ट नारसर, रूड़की, जिला—हरिद्वार के कथनानुसार, ग्राम—बुड़पुर जट, पोस्ट नारसर, रूड़की, जिला—हरिद्वार स्थित, आवासीय प्लाट में, स्थानीय किसानों द्वारा, आवासीय भवन का निर्माण कराया गया है। भवन स्वामियों द्वारा, विद्युत संयोजन के संबंध में, विपक्षी विभाग को अनुरोध पत्र प्रेषित किए गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, स्थलीय निरीक्षण किए जाने पर पाया गया कि परिवादी तथा अन्य निवासीगण द्वारा प्रश्नगत स्थल पर, भवनों का निर्माण किया गया है तथा प्रश्नगत परिसर/स्थल के नजदीक, विपक्षी विभाग द्वारा संचालित एलटी मेन्स उपलब्ध नहीं है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत परिसर/स्थल में निर्मित आवासीय भवन स्वामियों के, विद्युत सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु, 63 केवीए, 11/0.4 केवी परिवर्तक तथा एलटी मेन्स के निर्माण हेतु रू0 507154.30 की धनराशि का प्राक्कलन बनाया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में अन्य 6 भवन स्वामी/स्थानीय निवासियों के हस्ताक्षर अंकित हैं। अतः परिवादी के अलावा अन्य 6 भवन स्वामियों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जानी है जिस हेतु, 63 केवीए, 11/0.4 केवी परिवर्तक के स्थान पर 25 केवीए, 11/0.4 की क्षमता का परिवर्तक स्थापित किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, परिवादी तथा अन्य 6 स्थानीय निवासियों को विद्युत सुविधा प्रदान किए जाने हेतु निर्मित प्राक्कलन में संशोधन करते हुए, 63 केवी परिवर्तक के स्थान पर 25 केवीए परिवर्तक को सम्मिलित करते हुए, संशोधित प्राक्कलन परिवादी को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी तथा अन्य 6 स्थानीय निवासियों को विद्युत सुविधा प्रदान किए जाने हेतु निर्मित प्राक्कलन में संशोधन करते हुए, 63 केवीए परिवर्तक के स्थान पर 25 केवीए परिवर्तक को सम्मिलित करते हुए, संशोधित प्राक्कलन परिवादी को उपलब्ध कराए। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

28/07/2026

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

28/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 131 / 2026 दिनांक : 04.07.2026

परिवादी :– श्री लताफत हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन, निवासी मौहल्ला पठानपुरा, मंगलौर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री लताफत हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन, निवासी मौहल्ला पठानपुरा, मंगलौर, जिला–हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरडी21724171893 के सन्दर्भ कथन किया है कि उनके द्वारा उक्त संयोजन के बिलों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा था लेकिन माह जुलाई 2025 के बाद से विद्युत विभाग ने जो बिल भेजे हैं वह मीटर की वास्तविक रीडिंग से न बनाकर, गलत व बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर भेजे जा रहे हैं, यहां तक कि माह फरवरी 2026 और मार्च 2026 में तो 450 व 675 रीडिंग खपत से बिल भेजे गए हैं। वास्तविक रीडिंग से अधिक का बिल भेजना विद्युत विभाग की सेवा में कमी और लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने जब विद्युत विभाग के कार्यालय से सम्पर्क किया गया तो विभाग द्वारा अव्यावहारिक बात बताई गयी। उन्हें कहा गया कि उनकी खपत बहुत कम है इसलिए खपत बढ़ा कर बिल बनाया गया है। एक ओर तो राष्ट्र हित में बिजली बचाने की अपील, विद्युत विभाग करता है दूसरी ओर कम खपत वाले उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। वह उक्त संयोजन का, बहुत कम उपयोग करते हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि वास्तविक रीडिंग 3246 के अनुसार दिनांक 29.07.2025 से वर्तमान तक के बिल बिना लेट पेमेंट के संशोधित करवा दिए जाएं।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा, पत्र संख्या 4020 दिनांकित 01.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी21724171893 श्री लताफत हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन, मौहल्ला पठानपुरा, मंगलोर, जिला हरिद्वार के नाम से, घरेलू कार्य उपयोग हेतु, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 03.08.2015 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या आरडी21724171893 के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी मंगलौर के अनुसार उक्त संयोजन का बीजक, सम्बन्धित परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू415768 में दर्ज रीडिंग–3249 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी21724171893 का बीजक, संशोधित किये जाने के उपरान्त, धनराशि रू0 –123.00 का है, जोकि उपभोक्ता के आगामी बीजक में समायोजित कर दी जाएगी।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित हुए।

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 03.08.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.05.2026 तक, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–यू415768 पर दर्ज, वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, बिल जारी न किए जाने की शिकायत, दिनांक 16.05.2026 को, इस मंच को प्रेषित की गई है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.05.2026 को, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–यू415768 पर, विद्युत खपत/रीडिंग–4734 केडब्लूएच दर्शायी गई है जबकि परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–यू415768 की उपलब्ध कराए गए छायाचित्र के अनुसार उक्त मीटर पर विद्युत खपत/रीडिंग–3248 केडब्लूएच अंकित है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा मंच के आदेश पर स्थलीय निरीक्षण किए जाने पर, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–यू415768 पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग–3249 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है।

विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4020 दिनांक 01.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि, परिवादी को गलत मीटर रीडिंग के आधार पर जारी बिलों को निरस्त करते हुए, प्रश्नगत मीटर संख्या–यू415768 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग–3249 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल परिवादी को जारी कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को गलत मीटर रीडिंग के आधार पर जारी बिलों को निरस्त करते हुए, प्रश्नगत मीटर संख्या–यू415768 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत/रीडिंग–3249 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा, प्रस्तुत प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री तथा लेजर की सत्यापित प्रति से होती है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	04/07/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	04/07/2026 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 132 / 2026 दिनांक : 14.07.2026

परिवादी :– श्री नजीर हुसैन पुत्र श्री वहीद हुसैन, मौहल्ला हल्का मलानपुरा, टांडा रोड, मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नजीर हुसैन पुत्र श्री वहीद हुसैन, मौहल्ला हल्का मलानपुरा, टांडा रोड, मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरडी21726173947, के सन्दर्भ कथन किया है कि उनके बिल में, दिनांक 25.09.2025 को बहुत अधिक खपत, विपक्षी विभाग द्वारा दिखाई गई, जिस कारण बिल एक माह में, रू0 19168.00 का भेजा गया है, जो गलत है और मीटर की खराबी के कारण हुआ है, क्योंकि एक माह में एक किलोवाट के संयोजन पर इतनी खपत नहीं आ सकती है। अतः मंच से अनुरोध है कि दिनांक 25.09.2025 को प्रेषित बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4106 दिनांकित 04.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री नजीर हुसैन के सापेक्ष लिखित प्रतिउत्तर साक्ष्यो सहित बिंदुवार विवरण निम्न प्रकार है:–

1. आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या–आरडी21726173947 श्री नजीर हुसैन पुत्र श्री वहीद हुसैन, मौहल्ला मलानपुरा, टांडा रोड, मंगलौर, जिला हरिद्वार के नाम से, घरेलू कार्य उपयोग हेतु, 01 किलोवाट भार का, दिनांक 05.05.2016 को निर्गत किया गया था।
2. विद्युत संयोजन संख्या आरडी21726173947 के सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी, मंगलौर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या जी196858 के खराब (आईडीएफ) होने के कारण दिनांक 16.01.2026 को नया मीटर संख्या 5782542 स्थापित किया गया। शिकायतकर्ता श्री नजीर हुसैन पुत्र श्री वहीद हुसैन द्वारा मंच के समक्ष की गयी शिकायत के सापेक्ष, पिछले 03 एमयू के आधार पर नये मीटर स्थापना तक, बीजक को संशोधित कर दिया गया है।
3. विद्युत संयोजन संख्या आरडी21726173947 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरांत बकाया धनराशि रू0. 29115.00 है, जोकि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 05.05.2016 को, श्री बजीर हुसैन के नाम पर निर्गत है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 05.05.2026 तक, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.08.2025 से दिनांक 25.09.2025 तक, लगभग एक माह की अवधि हेतु, दिनांक 25.09.2025 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत–2449 (24471–22022) यूनिट को, पूर्व में जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में, अत्यधिक होने के कथन के साथ, परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा विगत वर्षों में जारी विद्युत बिलों का विवरण, निम्नानुसार है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
24.03.24	26.06.24	3.00	15705	16649	944	315
26.06.24	22.09.24	2.86	16649	18286	1637	572
22.09.24	23.12.24	3.00	18286	19408	1122	374
23.12.24	22.03.25	3.00	19408	20008	600	200
22.03.25	21.05.25	2.00	20008	20613	605	303
21.05.25	***23.08.25***	***3.00***	***20613***	***22022***	***1409***	***470***
23.08.25	***25.09.25***	***1.06***	***22022***	***24471***	***2449***	***2310***
25.09.25	26.10.25	1.00	24471	24623	157	157
26.10.25	***22.11.25***	***0.86***	***24623***	***24624***	***01***	***01***
22.11.25	23.12.25	1.00	24624	24788	164	154
23.12.25	16.01.26	0.76	–	–	75	99
16.01.26	05.05.26	3.63	00	667	667	184

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 21.05.2025 से दिनांक 23.08.2025 तक, लगभग 03 माह की अवधि में, कुल 1409 (22022–20613) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 03 माह की अवधि में, लगभग 470 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.09.2025 को, दिनांक 23.08.2025 से दिनांक 25.09.2025 तक, लगभग 1.06 माह की अवधि हेतु, कुल 2449 (24471–22022) यूनिट की विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किया गया हैं इसा प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 1.06 माह की अवधि में, लगभग 2310 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 470 यूनिट प्रति माह

क्रमशः.....03

की तुलना में 391.49 प्रतिशत अधिक है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.11.2025 को, दिनांक 26.10.2025 से दिनांक 22.11.2025 तक, लगभग 0.86 माह की अवधि हेतु, कुल 01 (24624–24623) यूनिट की विद्युत खपत का बिल, परिवादी को जारी किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 0.86 माह की अवधि में, लगभग 1.16 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 470 यूनिट प्रति माह की तुलना में 99.75 प्रतिशत कम है।

उपरोक्त तथ्यों से यह भी विदित होता है कि परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन में, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–जी196858 के दोषपूर्ण हो जाने पर, दिनांक 23.08.2025 से दिनांक 16.01.2026 तक की अवधि हेतु, त्रुटिपूर्ण विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4106 दिनांक 04.06.2026 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–जी196858 के दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत जारी बिलों को, पिछले 03 बिलिंग चक्रों के सापेक्ष, एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल परिवादी को जारी किया गया हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, संशोधित बिलों के सापेक्ष प्रस्तुत गणना शीट के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 21.05.2025 से दिनांक 23.08.2025 तक, लगभग 03 माह की अवधि के सापेक्ष की गई कुल विद्युत खपत–1409 (398+490+521) यूनिट की विद्युत खपत की अवधि, 63 दिन अर्थात 2.07 (63/30.147) माह आंकलित की गई है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.09.2025 से दिनांक 05.05.2026 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 23.08.2025 से दिनांक 16.01.2026 तक की अवधि हेतु, पूर्व में, दिनांक 21.05.2025 से दिनांक 23.08.2025 तक, लगभग 03 माह की अवधि हेतु, जारी 03 बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 16.01.2026 से दिनांक 05.05.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5782542 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 25.09.2025 से दिनांक 05.05.2026 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 23.08.2025 से दिनांक 16.01.2026 तक की अवधि हेतु, पूर्व में, दिनांक 21.05.2025 से दिनांक 23.08.2025 तक, लगभग 03 माह की अवधि हेतु, जारी 03 बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 16.01.2026 से दिनांक 05.05.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–5782542 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

14/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 133 / 2026 दिनांक : 27.07..2026

परिवादी :– मै0 बीएनएस इलेक्ट्रो पोलिमर्स केयर ऑफ श्री संतोष कुमार खेतान, एफ–96, इंडस्ट्रियल एरिया, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै0 बीएनएस इलेक्ट्रो पोलिमर्स केयर ऑफ श्री संतोष कुमार खेतान, एफ–96, इंडस्ट्रियल एरिया, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार ने विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000021423, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उनके परिसर में मीटर की जांच की एवं एक चैक मीटर लगाया और विभाग द्वारा उनके ऊपर स्लो मीटर का चार्ज एवं बिल मिलाकर कुल रू0 175821.00 का बकाया, बताया गया। परिवादी द्वारा कथन किया गया कि क्या मात्र 9 माह में मीटर खराब हो जाते हैं? अगर ऐसा होता है तो वह कंपनी कैसे चला सकते हैं? वह छोटे व्यापारी हैं और इस तरह के बकाया से उनको बहुत परेशानी हो रही है। उनके द्वारा भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की गई। उनके द्वारा माह अप्रैल का बिल जमा करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको बताया गया कि उनको अधिक धनराशि भुगतान करनी है। नया मीटर विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 24.08.2025 को लगाया गया था। माह जुलाई 2025 में उनका बिल रू0. 50607.00 था और माह अगस्त में रू0. 50778.00 था और नया मीटर माह अगस्त में लगने के बाद माह सितम्बर में उनका बिल सीधा रू0. 75326.00 का हो गया, उनको जानना है कि मीटर चेंज होने के तुरन्त बाद उनका इतना बिल कैसे बढ़ गया? अतः मंच से अनुरोध है कि इस मामले में उचित कार्यवाही करें और उनका अधिक बकाया हटवाने की कृपा करें।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 3894 दिनांकित 09.06.2026 के माध्यम से, मै0 बीएनएस इलेक्ट्रो पोलिमर्स के सापेक्ष, मंच को अवगत कराया गया है कि:
संयोजन संख्या–जेडब्लू0के000021423, मै0 बीएनएस इलेक्ट्रो पोलिमर्स केयर ऑफ संतोष कुमार खेतान, एफ–96, इंडस्ट्रियल एरिया बहादराबाद विधा STN-72/New RTS-5 HT Industry above 25KW, स्वीकृत लोड 45 KW, का संयोजन दिनांक 04.06.2012 से चला आ रहा है। उक्त संयोजन 0.4 के0वी0 पर है जिस पर स्मार्ट मीटर संख्या 8103137 स्थापित था तथा एम0एफ0 40 था। दिनांक 07.05.2026 को नाम परिवर्तन करते हुए, मै0 गोपाल कुमार खेतान से बीएनएस इलेक्ट्रो पोलिमर्स केयर ऑफ संतोष कुमार खेतान किया गया।

क्रमशः.....02

दिनांक 24.08.2025 को पुराना मीटर नं0 19627810 को बदलकर नया स्मार्ट मीटर सं0 8103137 को स्थापित किया गया। सिलिंग प्रमाण पत्र सं0 03/16043 दिनांक 24.08.2025 है।

दिनांक 23.02.2026 को मैन मीटर 8103137 के सापेक्ष चैक मीटर 8101727 को स्थापित किया गया। सिलिंग प्रमाण पत्र सं0 2230/24 दिनांक 23.02.2026 है। जोकि उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। तथा MRI Analysis में Y-Phase में Voltage Zero होने के कारण व Y-Phase में Current होने के कारण Energy के सही मापन के लिए अतिरिक्त मीटर लगाया गया। जिसकी प्रविष्टि सिलिंग प्रमाण पत्र में अंकित है।

दिनांक 10.04.2026 को मैन मीटर 8103137 के सापेक्ष चैक मीटर 8101727 को फाइनल किया गया। सिलिंग प्रमाण पत्र सं0 2230/30 दिनांक 10.04.2026 है। जोकि उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित है।

सहायक अभियंता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला मायापुर, हरिद्वार के कार्यालय पत्रांक 142/वि0प0शा0ह0 दिनांक 18.04.2026 के माध्यम से, चैक मीटर को स्थापित करने की सिलिंग प्रमाण पत्र 2230/24 दिनांक 23.02.2026, चैक मीटर 8101727 की Testing Certificate व Genus Power Metering Laboratory, Genus Power Infrastructures Limited का Certificate of Accrecitation, जो चैक मीटर स्थापित करते समय उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि को दी गयी। जोकि UERC के Regulation 2020 के 5.1.3(5) का पालन है। जिसकी प्रविष्टि सिलिंग प्रमाण पत्र में अंकित है तथा चैक मीटर को फाइनल करने सिलिंग प्रमाण पत्र सं0 2230/30 दिनांक 10.04.2026 प्राप्त है।

उक्त के आधार पर दिनांक 18.10.2025 से 10.04.2026 (चैक मीटर फाइनल का दिनांक) तक विद्युत खपत को 39.00 प्रतिशत KVAh धीमा रिकार्ड करने की वित्तीय हानियों का निर्धारण धनराशि रू0. 178683.24, पत्रांक 3308 दिनांक 12.05.2026 के द्वारा वादी को प्रेषित किया गया।

दिनांक 18.10.2025 से 10.04.2026 तक स्मार्ट मीटर संख्या 5706311 का Load Survey संलग्न है। Load Survey संलग्न से स्पष्ट है कि दिनांक 18.10.2025 से 25.02.2026 Y-Phase में Voltage जीरो प्रदर्षित हो रही है जिससे विद्युत खपत को 39.00 प्रतिशत KVAh धीमा रिकार्ड हो रही थी।

दिनांक 18.10.2025 से 10.04.2026 (चैक मीटर फाइनल का दिनांक) तक विद्युत खपत को 39.00 प्रतिशत KVAh धीमा रिकार्ड करने की वित्तीय हानियों का निर्धारण धनराशि रू0. 178683.24 पत्रांक 3308 दिनांक 12.05.2026 के द्वारा वादी को प्रेषित किया गया। उक्त निर्धारण धनराशि गणना Sheet संलग्न है। जोकि UERC के Regulation 2020 के 5.1.3(10) (b) की सीमा में है। तथा वादी का विद्युत बिल सही है।

उक्त के अनुक्रम में परिवादी द्वारा मंच के समक्ष प्रतिउत्तर पत्र प्रेषित कर कथन किया गया है कि उनके एच0टी0 संयोजन सं0 जेडब्लू0के000021423, लोड 45 किलोवाट, मै0 बी0एन0एस0 इलेक्ट्रो पोलिमर के नाम पर विद्युत विभाग ज्वालापुर ने पत्रांक 3874 दिनांक 09.06.2026 द्वारा रू0. 178683.24 का, निर्धारण पैनॉल्टी के विरूद्ध आपत्ति निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:—

सरासर अन्याय— "No fault of Consumer" विद्युत विभाग के उत्तर में लिखा है कि Y-Phase में MRI Analysis से Voltage Zero पाया गया। Voltage Zero है या current आ रहा है, ये तकनीकी जांच विद्युत विभाग के अधिकारियों का काम है। वह एक साधारण उद्योगपति हैं, उन्हे Phase-Voltage की तकनीकी जानकारी नहीं है। यदि 4 महीने तक Y-Phase Zero रहा तो इसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग के

क्रमशः.....03

मासिक निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों की है, उनकी नहीं। ये सरासर अन्याय है कि विद्युत विभाग की लापरवाही की सजा उन्हे रू0. 178683.24 देकर भुगतनी पड़े।

विद्युत विभाग की गलती, उपभोक्ता भुगतेगा? विद्युत विभाग खुद मान रहा है कि दिनांक 24.08.2025 को विद्युत विभाग द्वारा ही स्मार्ट मीटर सं0 8103137 लगाया गया था। विद्युत विभाग के अनुसार दिनांक 18.10.2025 से ही Y-Phase Voltage, Zero दिख रहा है। अर्थात विद्युत विभाग ने कमीशनिंग के 2 महीने के अंदर ही Defective Meter लगा दिया। Defective Meter विद्युत विभाग ने लगाया और 6 महीने बाद पैनॉल्टी उपभोक्ता से? ये कदापि न्यायोचित नहीं है।

6 महीने तक विद्युत विभाग सो रहा था: विद्युत विभाग के अनुसार दिनांक 23.02.2026 को Check-Meter no. 8101727 लगाया गया। मतलब दिनांक 18.10.2025 से 23.02.2026 तक लगभग 4 महीने विद्युत विभाग को पता ही नही चला कि Voltage Zero है। हर महीने विद्युत विभाग के द्वारा रीडिंग ली जाती है। यदि मीटर Slow था तो रीडिंग के समय ही पकड़ा जाना चाहिए था। 6 महीने बाद एक साथ इतनी बड़ी पेनल्टी लगाना नाइंसाफी है। हर महीने वह विद्युत बिल समय से भुगतान कर रहे है और आगे भी करते रहेंगे।

वह उक्त राशि को कदापि भुगतान नहीं कर सकते। मीटर विद्युत विभाग का, सील विद्युत विभाग की, लाइन विद्युत विभाग की। इसमें कंज्यूमर का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। वह उक्त रू0. 178683.24 की रकम कभी भी भुगतान नहीं कर पाएंगे। अतः मंच से अनुरोध है कि रू0. 178683.00 का निर्धारण बिल पूर्णतः माफ किया जाए।

उक्त के अनुक्रम में विपक्षी विभाग द्वारा मै0 बीएनएस इलेक्ट्रो पोलिमर्स वास्ते श्री संतोष कुमार खेतान, इंडस्ट्रियल एरिया, बहादराबाद, जिला हरिद्वार के सापेक्ष मंच द्वारा वांछित संयोजन संख्या जेडब्लू0के000021423 नामें मै0 बीएनएस इलेक्ट्रो पोलिमर्स का लोड सर्वे, की सॉफ्ट कॉपी ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री संतोष कुमार खेतान तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता(राजस्व) श्री एस0 के0 गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 45.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 04.06.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 07.07.2026 तक, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–8103137 की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, वाई–फेज की मीटरिंग वोल्टेज शून्य पाए जाने के उपरांत, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–8103137 में दर्ज की जा रही विद्युत खपत के तुलनात्मक अध्ययन हेतु, सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या–2230/24 के माध्यम से, दिनांक 23.02.2025 को चैक मीटर संख्या–8101727 स्थापित किया गया है जिसे सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या–2230/30 के माध्यम से, दिनांक 10.04.2026 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मेन मीटर संख्या–8103137 तथा चैक मीटर संख्या–8101727 पर दर्ज विद्युत खपत का विवरण, निम्नानुसार है:

क्रमशः.....04

विवरण	मेन मीटर (8103137)		चैक मीटर (8101727)	
	kWh	kVAh	kWh	kVAh
दि0 10.04.26	1259.40	1427.40	489.40	603.60
दि0 23.02.26	1116.80	1256.40	39.20	42.90
अंतर	142.60	171.00	450.20	560.60
गुणांक (MF)	40	40	20	20
विद्युत खपत	5704	6840	9000	11214
kWh आधार पर अंतर (%)	(((9000—5704)/9000) ×100) = 36.62 %			
kVAh आधार पर अंतर (%)	(((11214—6840)/11214) ×100) = 39.00 %			

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन में गतिमान मीटर संख्या—8103137 पर, दिनांक 23.02.2024 से दिनांक 10.04.2026 तक की अवधि में, चैक मीटर की तुलना में, केडब्लूएच तथा केवीएएच आधार पर, क्रमशः 36.62 प्रतिशत तथा 39.00 प्रतिशत कम विद्युत खपत अंकित/दर्ज की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में, पत्रावली में मीटर संख्या—8103137 की एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त मीटर की वाई—फेज के सापेक्ष मीटरिंग वोल्टेज, दिनांक 18.10.2025 से दिनांक 10.04.2026 तक, शून्य पाई गई है। इस प्रकार, चैक मीटर संख्या—8101727 की फाइनल रिपोर्ट सही प्रतीत होती है। विपक्षी विभाग द्वारा, चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर, दिनांक 18.10.2025 से दिनांक 10.04.2026 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या—8103137 में, केडब्लूएच आधार पर, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत से, 39.00 प्रतिशत कम दर्ज की गई विद्युत खपत के सापेक्ष रू0 178683.24 की धनराशि का निर्धारण किया गया है जो कि नियमानुसार सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—8103137 पर, दिनांक 23.02.2026 से दिनांक 10.04.2026 तक की अवधि में, चैक मीटर संख्या—8101727 की तुलना में, केडब्लूएच तथा केवीएएच आधार पर, क्रमशः 36.62 प्रतिशत तथ 39.00 प्रतिशत कम विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिणामस्वरूप, विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर संख्या—8103137 पर, केडब्लूएच आधार पर, 39.00 प्रतिशत कम अंकित/दर्ज की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, रू0 178683.24 की धनराशि का किया गया निर्धारण, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अनुसार सही प्रतीत होता है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

27/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 136 / 2026 दिनांक : 14.07.2026

परिवादी :– श्री नीरज पुत्र स्व0 यशपाल सिंह, छावनी, झबरेड़ा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नीरज पुत्र स्व0 यशपाल सिंह, छावनी, झबरेड़ा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरडी9जे491723826, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह संयोजन उनके स्व0 पिता श्री यशपाल सिंह के नाम से है, जिसको उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा दिनांक 18.12.2024 को रू0 16730.00 जमा किया गया था। उनका उसके बाद कोई बिल नहीं आया, जब वह बिल लेने के लिए विद्युत विभाग के अवर अभियंता के पास गए तो उनको रू0 96608.00 का बिल दिया गया, जोकि बहुत ज्यादा व गलत है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4188 दिनांकित 08.06.2026 के माध्यम से, उपभोक्ता श्री नीरज के सापेक्ष प्रस्तुत लिखित उत्तर का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार, विद्युत संयोजन संख्या–आरडी9जे491723826 श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री सुक्कड, छावनी, झबरेड़ा, जिला हरिद्वार के नाम से, निजि नलकूप उपयोग हेतु, 7.5 एच0पी0 भार का, दिनांक 15.08.2019 को निर्गत किया गया था।
2. विद्युत संयोजन संख्या आरडी9जे491723826 के सम्बंध में, शिकायतकर्ता श्री नीरज पुत्र श्री यशपाल सिंह द्वारा मंच के समक्ष दर्ज शिकायत के सापेक्ष जारी बीजकों को संशोधित कर दिया गया है।
3. विद्युत संयोजन संख्या आरडी9जे491723826 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरांत वर्तमान बकाया धनराशि रू0. 18608.00 है, जोकि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री नीरज तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित हुए।

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 07.50 एचपी भार पर, दिनांक 15.08.2019 को, श्री यशपाल सिंह के नाम पर, निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.07.2025 तक एमयू आधार पर, दिनांक 01.01.2024 एवं दिनांक 27.06.2024 को आईडीएफ आधार पर, दिनांक 18.07.2025 को एमसी आधार पर तथा दिनांक 26.01.2026 को एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 18.07.2025 को, दिनांक 03.01.2023 से दिनांक 18.07.2025 तक, लगभग 30.50 माह की अवधि हेतु जारी बिल की धनराशि रू0 95561.00 (रू 96608.00) को, अत्यधिक होने के कथन के साथ, विवादित ठहराया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा विगत वर्षों में जारी बिलों का विवरण, निम्नानुसार है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/छमाही)
15.08.19	02.01.20	4.56	00	1351	1351	1778
02.01.20	13.07.20	3.36	1351	2465	1114	1051
13.07.20	01.01.21	5.60	2465	7517	5052	5413
01.01.21	27.01.22	5.86	7517	14889	7372	3440
27.01.22	02.07.22	5.16	14889	17645	2756	3205
02.07.22	03.01.23	6.00	17645	21033	3388	3388
03.01.23	11.07.23	6.26	21033	22401	1368	1312
27.01.22	***11.07.23***	***17.42***	***14889***	***22401***	***7512***	***2587***
11.07.23	01.01.24	5.66	22401	22401	32842	34815
01.01.24	27.06.24	5.86	22401	22401	32844	33629
27.06.24	31.12.24	6.13	22401	22401	39048	38220
11.07.23	***31.12.24***	***17.65***	***22401***	***22401***	***104734***	***35604***
31.12.24	18.07.25	6.60	00	120	120	109
18.07.25	26.01.26	6.26	120	3731	3611	577
31.12.24	***26.01.26***	***12.86***	***00***	***3731***	***3731***	***290***

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 15.08.2019 से दिनांक 11.07.2023 तक की अवधि में, अधिकतम 5413 यूनिट प्रति छमाही की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.07.2023 से दिनांक 31.12.2024 तक, लगभग 17.65 माह की अवधि हेतु, आईडीएफ आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष, कुल–104734 (32842+32844+39048) युनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं। इस प्रकार,

क्रमशः.....03

विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 17.65 माह की अवधि हेतु, 35604 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 5413 यूनिट प्रति छमाही की तुलना में, लगभग 557.77 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी कम में, विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4182 दिनांक 08.06.2026 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को आईडीएफ आधार पर जारी प्रश्नगत बिलों को, विपक्षी विभाग द्वारा पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल परिवादी को जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.07.2023 से दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि हेतु, आईडीएफ आधार पर जारी अनंतिम बिलों को, परिवादी द्वारा पूर्व में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि बिलिंग हिस्ट्री तथा लेजर की सत्यापित प्रति से होती है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14/07/2026

14/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 138/2026 दिनांक : 27.07.2026

परिवादी :– श्री इसम सिंह पुत्र श्री चौहल सिंह, निवासी–ग्राम–पीरपुरा, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री इसम सिंह पुत्र श्री चौहल सिंह, निवासी–ग्राम–पीरपुरा, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार ने विद्युत संयोजन संख्या–आरडी2एल322065196, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा विद्युत बिल का भुगतान लगातार समय से किया जा रहा है। उनका उक्त विद्युत संयोजन ग्राम पीरपुरा, विद्युत उपखण्ड लंढौरा, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की पर स्थापित विद्युत मीटर सं0 यू418865 के द्वारा दिनांक 17.04.2026 से दिनांक 17.05.2026 के बीच जम्प करने के कारण, दिनांक 17.05.2026 को, 7750 यूनिट से 8758 यूनिट जम्प कर, एक माह में कुल 1008 यूनिट दर्शायी गई जो कि गलत है। जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि बिल नं0 395262605117000019, रू0. 8000.00 को निरस्त कर, सही बिल, बिना विलम्ब अधिभार के दिलाने एवं उनके मीटर सं0. यू418865 को बदलवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4381 दिनांकित 16.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी2एल322065196, श्री इसम सिंह पुत्र श्री चौहल सिंह, ग्राम पीरपुरा, लण्ढौरा, जिला हरिद्वार के नाम से घरेलू कार्य हेतु, 01 किलोवाट भार का, दिनांक 14.08.1995 को, निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या आरडी2एल322065196 के सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी, लण्ढौरा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या यू418865 की एमआरआई कराने पर मीटर खराब पाया गया है। खराब विद्युत मीटर संख्या यू418865 को बदलने हेतु सहायक अभियंता (मीटर), ग्रामीण, रूड़की को पत्रांक 714/वि0वि0उ0ख0 लण्ढौरा दिनांक 29.05.2026 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से उक्त संयोजन के बीजक आईडीएफ के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी2एल322065196 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरांत बकाया धनराशि रू0. 2255.00 है जो कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 14.08.1995 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.05.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 17.05.2026 को जारी विद्युत बिल में, दिनांक 17.04.2026 से दिनांक 17.05.2026 तक, लगभग एक माह की अवधि हेतु, दर्शायी गई कुल विद्युत खपत–1008 (8758–7750) यूनिट को, पूर्व में जारी विद्युत बिलों के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में, अधिक होने के कथन के साथ विवादित ठहराया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्रीके अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, गत वर्षों में, जारी विद्युत बिलों का विवरण, निम्नानुसार है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
24.03.24	29.03.25	12.13	3954	6445	2491	205
29.03.25	17.04.26	12.60	6445	7750	1305	104
17.04.26	17.05.26	1.00	7750	8758	1008	1008

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.04.2026 से दिनांक 17.05.2026 तक, लगभग एक माह की अवधि हेतु, कुल 1008 (8758–7750) यूनिट की विद्युत खपत का विद्युत बिल, परिवादी को जारी किया गया है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त एक माह की अवधि में, 1008 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 205 यूनिट प्रति माह तथा 104 यूनिट प्रति माह की तुलना में, क्रमशः 391.71 प्रतिशत तथा 692.23 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी क्रम में, विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 4381 दिनांक 16.06.2026 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 17.05.2026 को जारी विद्युत बिल को, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–यू418865 की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर दोषपूर्ण मानते हुए संशोधित बिल परिवादी को जारी कर दिया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.05.2026 को जारी संशोधित बिल में, दिनांक 17.04.2026 से दिनांक 17.05.2026 तक की अवधि हेतु, कुल 234 यूनिट विद्युत की खपत का निर्धारण किया गया है जो कि पूर्व में, एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में 90.24 प्रतिशत अधिक है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 17.05.2026 को जारी संशोधित बिल में दर्शायी गई, निर्धारित विद्युत खपत को पुनः संशोधित किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.05.2026 को जारी संशोधित बिल को, परिवादी द्वारा दिनांक 30.01.2026 से दिनांक 17.04.2026 तक की अवधि हेतु, एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, पुनः परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है। क्रमशः.....03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 17.05.2026 को जारी संशोधित बिल को, परिवादी द्वारा दिनांक 30.01.2026 से दिनांक 17.04.2026 तक की अवधि हेतु, एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, पुनः परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

27/07/2026
(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

27/07/2026
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 141 / 2026 दिनांक : 04.07.2026

परिवादी :– श्रीमती छाया मित्तल पत्नी श्री संजय मित्तल, डाट मोहल्ला, लच्छी राम गली, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती छाया मित्तल पत्नी श्री संजय मित्तल, डाट मोहल्ला, लच्छी राम गली, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार द्वारा, विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू30727115312, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके बिजली बिल की राशि सामान्य उपयोग की तुलना में अत्यधिक आ रही है। उनका बिजली उपयोग सामान्य है, फिर भी बिल असामान्य रूप से अधिक धनराशि का प्राप्त हो रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके मीटर की जांच करवाते हुए बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा, पत्र संख्या 3892 दिनांकित 09.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता नामे श्रीमती छाया मित्तल पत्नी श्री संजय मित्तल, डाट मोहल्ला, लच्छी राम गली, ज्वालापुर, हरिद्वार के सापेक्ष, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार के अनुसार, विद्युत संयोजन सं0–जेडब्लू30727115312 का विद्युत बिल, मीटर रीडिंग के आधार पर ही प्रेषित किए जा रहे हैं।

मंच के समक्ष परिवादिनी तथा विपक्षी अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 11.04.2013 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.05.2026 तक, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, विगत वर्षों में जारी, विद्युत बिलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमशः.....02

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
13.03.23	28.09.23	6.50	9482	9837	355	55
28.09.23	22.03.24	5.80	9837	10134	297	51
22.03.24	30.09.24	6.26	10134	10429	295	47
30.09.24	24.12.24	2.80	10429	10556	127	45
13.03.23	***24.12.24***	***21.36***	***9482***	10556	***1074***	***50***
24.12.24	30.05.25	5.20	10556	12503	1447	374
30.05.25	17.12.25	6.56	12503	16239	5736	670
17.12.25	25.05.26	5.26	16239	18723	2484	472
24.12.23	***25.05.26***	***17.00***	***10556***	***18723***	***8167***	***480***

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी द्वारा, दिनांक 13.03.2023 से दिनांक 24.12.2024 तक, लगभग 21.36 माह की अवधि में, कुल 1074 (10516–9482) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादिनी द्वारा उक्त 21.36 माह की अवधि में, लगभग 50 यूनिट प्रति माह की औसत दर से, विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि परिवादिनी द्वारा दिनांक 24.12.2024 से दिनांक 25.05.2026 तक, लगभग 17 माह की अवधि में, कुल 8167 (18723–10556) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 17 माह की अवधि में लगभग 480 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 50 यूनिट प्रति माह की औसत दर की तुलना में 860.00 प्रतिशत अधिक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, परिवादिनी द्वारा, दिनांक 24.12.2024 से दिनांक 25.05.2026 तक की अवधि में, की गई विद्युत खपत, पूर्व में दिनांक 13.03.2023 से दिनांक 24.12.2024 तक, की अवधि में की गई विद्युत खपत की तुलना में 860.00 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा, प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–22917692 की शुद्धता पर आशंका व्यक्त किया जाना स्वाभाविक है। अपनी इस आशंका को दूर किए जाने हेतु, परिवादिनी द्वारा चैक मीटर स्थापित किए जाने हेतु, विपक्षी विभाग को आवेदन प्रेषित किया जा सकता है जिससे परिवादिनी की आशंकाओं का समाधान हो सके। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–22917692 पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

क्रमशः.....03

वाद सं0–141 / 2026
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

04/07/2026

(अजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

04/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

ORDER SHEET

Case No. ...143/2026

...M/s...Alpas...Industries..... V/S EE, EDD, ...Jwalapur,...Haridwar...

Signature	Date	Order	Next Date
	4/7/26	पत्रावली पेश हुई। परिवादी द्वारा उपस्थित पत्र प्रहार कार्य प्रारम्भ किये विपक्षी के पेशकामद का उल्लेख किया है। परिवादी के परिवाद को ओरल रूप से प्रस्तुत करने की अपील की है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।	

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 145 / 2026 दिनांक : 14.07.2026

परिवादी :– श्री आशीष विज पुत्र स्व0 महेन्द्र कुमार विज, सुपर कॉम्प्लेक्स, रानीपुर मोड़, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री आशीष विज पुत्र स्व0 महेन्द्र कुमार विज, सुपर कॉम्प्लेक्स, रानीपुर मोड़, जिला–हरिद्वार ने विद्युत संयोजन संख्या–6960630041035, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके संयोजन का मीटर दिनांक 19.05.2025 को आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी शिकायत दिनांक 19.05.2025 को कर दी गयी थी जिसकी शिकायत संख्या 11905250038 विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। उनके द्वारा समय–समय पर विभाग को सूचित किया गया कि जले हुए मीटर को बदल दिया जाये परन्तु विभाग द्वारा फरवरी 2026 में जाकर नया मीटर लगाया गया और बिल में हर माह में लगने वाले अन्य चार्जेज को भी जोड़ कर बिल बना दिया गया है। इसमे उनकी कोई गलती नहीं है, उनके द्वारा समय समय पर विभाग को मीटर लगाने को बोला गया था। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके बिल में अन्य चार्जेज कम करवाने की कृपा करें।

विपक्षी विभाग द्वारा पत्र संख्या 1015 दिनांकित 05.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या–696063004135 में बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विद्युत संयोजन के सापेक्ष जारी बिलों में किसी प्रकार का संशोधन अथवा छूट सम्भव नहीं है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अमर कुमार उपस्थित तथा विपक्षी अनुपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 15.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 01.01.1994 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.05.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गये हैं। तद्पश्चात दिनांक 09.03.2026 को एमसी आधार पर तथा दिनांक 08 04.2026 से दिनांक 06.06.2026 तक एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.05.2025 से दिनांक 09.03.2026 की समयावधि में, 09 बिलिंग चक्रों के सापेक्ष, कोई भी विद्युत बिल, परिवादी को जारी नहीं किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–जी7918830 को, दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत, दिनांक 19.02.2026 को, मीटर संख्या–5721418 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा विगत वर्षों में जारी बिलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमशः.....02

मीटर संख्या	अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
	से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
9145575	15.09.22	21.12.22	3.20	216528	261670	45149	14109
	21.12.22	15.03.23	2.80	261670	299516	37839	13514
	15.03.23	14.06.23	3.00	299516	344863	45347	15116
	14.06.23	15.09.23	3.00	344863	389863	45000	15000
	15.09.22	***15.09.23***	***12.00***	***216528***	***389863***	***173335***	***14445***
6718830	15.09.23	17.12.23	3.00	4105	46090	41985	13995
	17.12.23	17.03.24	3.00	46090	83408	37318	12439
	17.03.24	16.06.24	3.00	83408	124762	41354	13785
	16.06.24	18.09.24	3.00	124762	169431	44669	14890
	18.09.24	25.12.24	3.23	169431	213049	43618	14539
	25.12.24	16.03.25	2.70	213049	248002	34953	12946
	16.03.25	19.05.25	2.10	248002	277062	29060	13834
	15.09.23	***19.05.25***	***20.13***	***4105***	***277062***	***272957***	***13560***
	19.05.25	09.02.26	8.66	—	—	115459	13332
5721418	09.02.26	06.06.26	4.00	00	7406	7406	1852

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–9145575 के माध्यम से, दिनांक 15.09.2022 से दिनांक 15.09.2023 तक, लगभग 12 माह की अवधि में, कुल 173335 (389863–216528) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में लगभग 14445 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। इसी प्रकार, परिवादी द्वारा, प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–6798830 के माध्यम से, दिनांक 15.02.2023 से दिनांक 19.05.2025 तक, लगभग 20.13 माह की अवधि में, कुल 272957 (277062–4105) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 20.113 माह की अवधि में, 13560 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.05.2025 से दिनांक 09.02.2025 तक, लगभग 8.66 माह की अवधि हेतु, लगभग 13332 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 14425 यूनिट प्रति माह तथा 13560 यूनिट प्रति माह की तुलना में सही प्रतीत होता है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 09.02.2026 को, स्मार्ट मीटर संख्या–5721418 स्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त स्मार्ट मीटर

क्रमशः.....03

संख्या–5721418 के माध्यम से, दिनांक 09.02.2026 से दिनांक 06.06.2026 तक, लगभग 04 माह की अवधि में, कुल 7406 (7406–00) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 04 माह की अवधि में लगभग 1852 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 14445 यूनिट प्रति माह तथा 13560 यूनिट प्रति माह की तुलना में, क्रमशः 86.18 प्रतिशत तथा 86.34 प्रतिशत कम है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त स्मार्ट मीटर संख्या–5721418 की शुद्धता तथा परिवादी द्वारा की जा रही विद्युत उपभोग की पुष्टि हेतु, स्थलीय निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में बिलिंग संबंधी विवाद से बचा जा सके।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.05.2025 से दिनांक 09.03.2026 तक की अवधि में, 09 बिलिंग चक्रों हेतु विद्युत बिल जारी न करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर निर्धारित समय में बिल जारी किए जा सकें। परिवादी द्वारा, दिनांक 15.09.2022 से दिनांक 19.05.2025 तक, लगभग 32 माह की अवधि में, प्रति माह, लगभग समान रूप से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.05.2025 से दिनांक 09.02.2026 तक लगभग 8.66 माह की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	14/07/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	14/07/2026 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 146/2026 दिनांक : 27.07.2026

परिवादी :– श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री समय पाल सिंह, मकान सं0 121/100, मौहल्ला नई धीरवाली, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री समय पाल सिंह, मकान सं0 121/100, मौहल्ला नई धीरवाली, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू40736037259, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि मीटर रीडिंग गलत आने के कारण विभाग द्वारा चैक मीटर लगवाया गया। उनके द्वारा चैक मीटर उतरवाने के लिए फोन किया गया, लेकिन विभाग ने अपना चैक मीटर तीन माह बाद भी नहीं उतारा। उनके द्वारा दो माह बाद फिर फोन किया गया, फिर भी विभाग ने चैक मीटर नहीं उतारा। विभाग द्वारा 8 माह बाद मीटर उतारा गया। उनके द्वारा पूछा गया कि मीटर में क्या कमी है, तो विभाग के द्वारा बताया गया कि मीटर सही है। विभाग के द्वारा उनका पुराना मीटर उतार लिया गया व चैक मीटर को छोड़ दिया गया। जब मीटर सही था तो विभाग के द्वारा चैक मीटर क्यों नहीं उतारा गया? मीटर की कोई रिपोर्ट भी नहीं दी गयी और उनका एक माह बाद संयोजन को भी काट दिया गया। उनके द्वारा बार–बार कहने पर विभाग ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और रू0 93023.00 का नोटिस भेज दिया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके पुराने मीटर की जांच कराकर उनके बिल को ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4238 दिनांकित 23.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि नामे श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री सगय पाल सिंह, मकान सं0 121/100, मौहल्ला नई धीरवाली, ज्वालापुर, हरिद्वार के सापेक्ष उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित द्वारा चैक मीटर स्थापित करने हेतु दिनांक 23.01.2024 को शिकायत दर्ज की गयी जिसकी शिकायत क्रमांक 22301240680 है, के अनुक्रम में धनराशि रू0. 118.00 दिनांक 23.01.2024 को भुगतान किया गया था। जिसके सापेक्ष दिनांक 10.02.2024 को सम्बंधित के परिसर पर विद्युत परीक्षणशाला द्वारा चैक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 10.10.2024 को चैक मीटर फाईनल कर दिया गया, उक्त के क्रम में मंच को यह भी अवगत कराना है कि मेन मीटर तथा चैक मीटर में कोई भी अंतर (Deviation) नही पाया गया। जिस कारण उपभोक्ता का बिल संशोधित किया जाना सम्भव नहीं है।

क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादी श्री मुकेश कुमार तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्री एस0 के0 गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 18.04.1992 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.02.2025 तक, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–10217562 में दर्ज मीटर रीडिंग/खपत–5855 केडब्लूएच के सापेक्ष, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात, दिनांक दिनांक 06.03.2025 से दिनांक 10.06.2026 तक, शून्य विद्युत खपत के विद्युत बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, तद्समय गतिमान मीटर संख्या–626001 की शुद्धता की पुष्टि हेतु, दिनांक 10.02.2024 को, चैक मीटर संख्या–10217562 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 10.10.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, उक्त मीटर संख्या–626001, दोषरहित पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा विगत वर्षों में जारी विद्युत बिलों का विवरण, निम्नानुसार है:

मीटर संख्या	अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
	से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
626001	11.12.20	12.06.21	6.00	46240	48102	1862	310
	12.06.21	24.12.21	6.40	48102	50612	2510	392
	24.12.21	11.06.22	5.56	50612	52749	2137	384
	11.06.22	16.12.22	6.16	52749	55263	2514	408
	16.12.22	20.06.23	6.13	55263	57673	2410	392
	20.06.23	10.12.23	5.66	57673	60041	2368	418
	10.12.23	10.02.24	2.00	60041	60922	881	441
	11.12.20	***10.02.24***	***38.00***	***46240***	***60922***	***14682***	***386***
	10.02.24	10.10.24	**8.00**	60922	65375	4452	**557**
10217562	10.02.24	10.10.24	**8.00**	00	4447	4447	**556**
	10.10.24	08.02.25	3.93	4447	5855	1408	358

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि परिवादी द्वारा मीटर संख्या–626001 के माध्यम से, दिनांक 10.12.2020 से दिनांक 10.02.2024 तक लगभग 38 माह की अवधि में, कुल 14682 (60922–46240) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 38 माह की अवधि में, लगभग 386 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा उक्त मीटर संख्या–626001 के माध्यम से, दिनांक 10.02.2024 से दिनांक 10.10.2024 तक, लगभग 8 माह की अवधि में, कुल 4452 (65374–60922) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 8 माह की अवधि

क्रमशः.....03

में, लगभग 557 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 10.02.2024 से दिनांक 10.10.2024 तक, लगभग 8 माह की अवधि में, स्थापित चैक मीटर संख्या–10217562 पर, कुल 4447 (4447–00) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 8 माह की अवधि में, लगभग 556 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई जो कि उक्त मीटर संख्या–626001 पर समान अवधि में दर्ज की गई औसत विद्युत खपत–557 यूनिट की तुलना में सही प्रतीत होती है। इस प्रकार परिवादी के संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–62611 के दोषरहित होने के पुष्टि होती है। परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–10217562 के माध्यम से दिनांक 10.10.2024 से दिनांक 08.02.2025 तक, लगभग 3.93 माह की अवधि में, कुल 1408 (5855–4447) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 3.93 माह की अवधि में, लगभग 358 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 386 यूनिट प्रति माह की तुलना में सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–626001 में, दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिणामस्वरूप, परिवादी द्वारा की गई विद्युत खपत के आधार पर दिनांक 08.02.2025 तक जारी विद्युत बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

27/07/2026

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

27/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 149/2026 दिनांक : 27.07.2026

परिवादी :– श्री मयंक कुमार पौत्र स्वी0 श्री सुरेश चन्द्र, ग्राम–उल्हेड़ा, पोस्ट–गुरूकुल नारसन, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मयंक कुमार पौत्र स्वी0 श्री सुरेश चन्द्र, ग्राम–उल्हेड़ा, पोस्ट–गुरूकुल नारसन, जिला–हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–आरडी21814016500, के सन्दर्भ कथन किया है कि उनको माह जनवरी 2026 में, दिनांक 14.12.2025 से 13.01.2026 तक, एक माह की अवधि का विद्युत बिल रू0. 37958.00, (5218 यूनिट) का आया है। जिसकी शिकायत उनके द्वारा विद्युत विभाग के उपभोक्ता शिकायत हेल्प लाइन नं0 1912 पर की गई जिसकी शिकायत सं0 18004190405 है। जिसके उपरांत विद्युत विभाग के द्वारा उनके आवास पर चैक मीटर लगाया गया परंतु उसके बाद भी उनकी शिकायत का कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, क्योंकि उनका 01 किलोवाट का घरेलू संयोजन है। जिसका विगत समय में एक माह का बिल इतना कभी नहीं आया। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान कर उन्हें राहत प्रदान की जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4470 दिनांकित 22.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि:

> आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी21814016500 श्री सुरेश चंद्र पुत्र श्री उदय सिंह, ग्राम उल्हेडा, गुरूकुल नारसन, जिला हरिद्वार के नाम से घरेलू उपयोग हेतु 01 किलोवाट भार का दिनांक 20.04.1998 को निर्गत है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी21814016500 के सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी, मंगलौर के अनुसार, उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर लगवाने हेतु की गयी शिकायत संख्या 21701260640 के आधार पर, अवर अभियंता, विद्युत परीक्षणशाला (ग्रामीण) रूड़की द्वारा उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या 15686768 के सापेक्ष, सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 159/28 दिनांक 18.02.2026 के माध्यम से चैक मीटर संख्या–जीयू543227 स्थापित किया गया एवं सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 170/11 दिनांक 09.03.2026 के माध्यम से परिसर पर स्थापित चैक मीटर फाईनल करते हुए पुराना मीटर,

क्रमशः.....02

रीडिंग 19294 केडब्लूएच पर उतार लिया गया। गणना के आधार पर पुराना मीटर 0.36 प्रतिशत धीमा पाया गया।

विद्युत संयोजन संख्या आरडी21814016500 पर स्थापित चैक मीटर को फाइनल किये जाने पर उतारे गये विद्युत मीटर संख्या 15686768 में रीडिंग 19294 केडब्लूएच के आधार पर पिछले 11 माह के बीजक को संशोधित किया गया है।

विद्युत संयोजन संख्या आरडी21814016500 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरांत रू0. 60464.13 है, जोकि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

उक्त विपक्षी के जवाब के उत्तर में परिवादी द्वारा मंच के समक्ष पत्र दिनांकित 14.07.2026 प्रस्तुत कर कथन किया है कि वह विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है। दिनांक 20.01.2024 से 20.03.2025 तक का बिल 1400 यूनिट का भेजा गया जो कि मीटर की रीडिंग में नही जुड़ा, उसके बाद निम्नानुसार अनियमित बिल भेजे गये:

दिनांक 20.03.2025 से दिनांक 12.04.2025 तक 89 यूनिट।
दिनांक 12.04.2025 से दिनांक 12.05.2025 तक 06 यूनिट।
दिनांक 12.05.2025 से दिनांक 12.06.2025 तक 7653 यूनिट।
दिनांक 12.06.2025 से दिनांक 14.07.2025 तक 632 यूनिट।
दिनांक 14.07.2025 से दिनांक 14.08.2025 तक 603 यूनिट।
दिनांक 14.08.2025 से दिनांक 14.09.2025 तक 06 यूनिट।
दिनांक 14.09.2025 से दिनांक 14.10.2025 तक 06 यूनिट।
दिनांक 14.10.2025 से दिनांक 14.12.2025 तक 12 यूनिट।
दिनांक 14.12.2025 से दिनांक 13.01.2026 तक 5218 यूनिट।
दिनांक 13.01.2026 से दिनांक 09.03.2026 तक 3094 यूनिट।
दिनांक 09.03.2026 से दिनांक 19.06.2026 तक 153 यूनिट।

अतः मंच से अनुरोध है कि वह एक किसान है और विद्युत बिल का भुगतान समय समय करता रहता है। उनका विद्युत बिल ठीक करवा दिया जाए।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनुभव सैनी उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 20.04.1982 से, श्री सुरेश चंद के नाम गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.06.2026 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.01.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की समयावधि में, लगातार 13 बिलिंग चक्रों हेतु, कोई भी विद्युत बिल, परिवादी को जारी नहीं किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या—15686768 को, दिनांक 09.03.2026 को, मीटर संख्या—जीयू543227 (चैक मीटर) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा विगत वर्षों में जारी विद्युत बिलों का विवरण, निम्नानुसार है:

क्रमशः.....03

मीटर संख्या	अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
	से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
15686768	15.04.22	14.12.22	8.00	00	2672	2672	334
	14.12.22	21.08.23	8.23	2672	5549	2877	350
	21.08.23	20.12.23	4.00	5549	7192	1643	411
	20.12.23	20.01.24	1.00	7192	7633	441	441
	15.04.22	*20.01.24*	*21.23*	*00*	*7633*	*6633*	*360*
	20.01.24	*12.04.25*	*14.73*	*7633*	*7722*	*89*	*6*
	12.04.25	*12.06.25*	*2.00*	*7222*	*15375*	*7653*	*3827*
	12.06.25	09.03.26	8.90	15375	19294	3913	440
	20.01.24	*09.03.26*	*29.99*	*7633*	*19294*	*11661*	*389*
	15.04.22	09.03.26	51.22	00	19294	19294	377

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 15.04.2022 से दिनांक 20.01.2024 तक, लगभग 21.23 माह की अवधि में, कुल 7633 (7633—00) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 21.23 माह की अवधि में, लगभग 360 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा, दिनांक 20.01.2024 से दिनांक 12.04.2025 तक, लगभग 14.73 माह की अवधि में, कुल 89 (7722—7633) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 14.73 माह की अवधि में, लगभग 6 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 360 यूनिट प्रति माह की तुलना में, 98.33 प्रतिशत कम है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.04.2025 से दिनांक 12.06.2025 तक, लगभग 2 माह की अवधि हेतु, कुल 7652 (15375—7722) यूनिट की विद्युत खपत के बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त दो माह की अवधि हेतु, लगभग 3827 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत बिल जारी किए गए हैं जो कि उक्त 360 यूनिट प्रति माह तथा 6 यूनिट प्रति माह की तुलना में, कमशः 963.05 प्रतिशत तथा 63683.33 प्रतिशत अधिक है। परिवादी द्वारा दिनांक 20.01.2024 से दिनांक 09.03.2026 तक, लगभग 29.99 माह की अवधि में, कुल 11661 (19294—7633) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त 29.99 माह की अवधि में, लगभग 389 यूनिट प्रति माह की औसत दर से, विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 360 यूनिट प्रति माह की तुलना में सही प्रतीत होती है।

उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.01.2024 से दिनांक 09.03.2026 तक की अवधि में, परिवादी के संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या—15686768 पर, समय—समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं। परिणामस्वरूप, दिनांक 30.04.2026 को जारी विद्युत बिल में, बिलिंग हेतु शेष विद्युत खपत 3094 यूनिट को सम्मिलित

क्रमशः.....04

किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.01.2024 से दिनांक 21.03.2025 तक की समयावधि में, कोई भी विद्युत बिल जारी नहीं किए गए हैं परंतु उक्त अवधि हेतु विलंब अधिभार शुल्क परिवादी के बिलों में आरोपित किया गया है वह भी सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.01.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की समयावधि में, लगातार 13 बिलिंग चक्रों के लिए कोई भी विद्युत बिल जारी न करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि के भीतर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.01.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक जारी बिलों को संशोधित करते हुए, दिनांक 20.01.2024 से दिनांक 09.03.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या–15686768 पर, उक्त अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत–11661 (19294–7633) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 09.03.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–जीयू543227 पर दर्ज विद्युत खपत–252 (252–00) यूनिट के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 20.01.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक जारी बिलों को संशोधित करते हुए, दिनांक 20.01.2024 से दिनांक 09.03.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या–15686768 पर, उक्त अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत–11661 (19294–7633) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 09.03.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–जीयू543227 पर दर्ज विद्युत खपत–252 (252–00) यूनिट के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	27/07/2026 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	27/07/2026 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 150/2026 दिनांक : 28.07.2026

परिवादी :– श्री अरविंद कुमार सिंह पुत्र श्री जीत बहादुर सिंह, प्लाट नं0 बी–17, खसरा नं0–1442, महादेव पुरम, फेस–2, सलेमपुर महदूद, सिड़कुल, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अरविंद कुमार सिंह पुत्र श्री जीत बहादुर सिंह, प्लाट नं0 बी–17, खसरा नं0–1442, महादेव पुरम, फेस–2, सलेमपुर महदूद, सिड़कुल, जिला–हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू11511184663, के सन्दर्भ कथन किया है कि उनके विद्युत संयोजन का, माह नवम्बर 2025 का बिल, 1452 यूनिट दर्शाते हुए जारी किया गया, जो उनकी सामान्य खपत की तुलना में अत्यधिक एवं असामान्य है। इस सम्बंध में उन्होंने दिनांक 24.02.2026 को विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर के कार्यालय में लिखित आवेदन दिया था। इसके बाद विद्युत विभाग द्वारा मीटर की एमआरआई कराई गई तथा उन्होंने टोल फ्री नं0 1912 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर टेस्ट मीटर भी लगवाया था। तथापि, अब तक उन्हें कोई संतोषजनक परिणाम अथवा स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने विद्युत विभाग द्वारा जारी सभी विद्युत बिलों का भुगतान कर दिया है, फिर भी माह नवम्बर 2025 के बिल में दर्शायी गई खपत एवं बिल राशि से वह संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें आशंका है कि मीटर में तकनीकी त्रुटि अथवा रीडिंग सम्बंधी गलती के कारण बिल अधिक आया है। अतः मंच से अनुरोध है कि माह नवम्बर 2025 के विद्युत बिल की पुनः जांच कराई जाए तथा मीटर की एमआरआई रिपोर्ट एवं टेस्ट मीटर की रिपोर्ट के आधार पर बिल में उचित संशोधन किया जाए। वर्तमान मीटर की तकनीकी जांच कराकर आवश्यकतानुसार नया मीटर लगाया जाए तथा जांच रिपोर्ट एवं की गई कार्रवाई की जानकारी उन्हे भी उपलब्ध कराई जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या 4475 दिनांकित 03.07.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि नामें श्री अरविंद कुमार सिंह पुत्र श्री जीत बहादुर सिंह, प्लाट सं0 बी–14, खसरा नं0 1442, महादेव पुरम, फेस–2, सलेमपुर महदूद, सिड़कुल, हरिद्वार के सापेक्ष उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय के अनुसार, सम्बन्धित उपभोक्ता के सभी बिल मीटर यूनिट के आधार पर निर्गत किये जाते रहे हैं। उपभोक्ता द्वारा माह 11/2025 में अधिक बिल आने की समस्या से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर (मीटर संख्या 84553177) की

क्रमशः.....02

एम0आर0आई0 करा ली गयी है, एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार माह 11/2025 में उपभोक्ता द्वारा अधिक मात्रा में विद्युत का उपभोग किया जाना प्रदर्शित होता है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री अरविंद कुमार सिंह तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) श्री एस0के0गौतम उपस्थित हुए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 03.01.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 14.07.2026 तक, एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 14.11.2025 को, दिनांक 14.10.2025 से दिनांक 14.11.2025 तक, लगभग एक माह की अवधि हेतु जारी विद्युत बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत—1452 (17117—15665) यूनिट को, पूर्व में जारी बिलों में दर्ज औसत की तुलना में अत्यधिक होने के कथन के साथ विवादित ठहराया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, विगत वर्षों में जारी, विद्युत बिलों का विवरण, निम्नानुसार है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)
15.03.25	14.06.25	3.00	12803	13665	862	287
14.06.25	14.10.25	4.00	13665	15665	2000	500
14.10.25	***14.11.25***	***1.00***	***15665***	***17117***	***1452***	***1452***
14.11.25	11.03.26	4.00	17117	18257	1140	285
11.03.26	14.07.26	4.00	18257	19429	1172	293

उपरोक्त तालिका से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 14.10.2025 से दिनांक 14.11.2025 तक, लगभग एक माह की अवधि में, कुल 1452 (17117—15665) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार, परिवादी द्वारा उक्त एक माह की अवधि में, 1452 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 287, 500, 285 तथा 293 यूनिट प्रति माह की तुलना में, कमशः 405.92 प्रतिशत, 190.40 प्रतिशत, 409.47 प्रतिशत तथा 395.56 प्रतिशत अधिक है। परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—84553177 की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, उक्त मीटर पर, विभिन्न तिथियों में दर्ज मीटर रीडिंग/खपत तथा अधिकतम विद्युत भार का विवरण, निम्नानुसार है:

अवधि			विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण				
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)	MD (किलोवाट)
01.06.25	01.07.25	01	13453	13993	540	540	2.36
01.07.25	01.08.25	01	13993	14572	579	579	2.32
01.08.25	01.09.25	01	14572	15041	469	469	2.30
01.09.25	01.10.25	01	15041	15506	465	465	2.56
01.10.25	01.11.25	01	15506	17001	1495	1495	11.67

क्रमशः.....03

अवधि				विद्युत खपत/रीडिंग का विवरण			
से	तक	माह (लगभग)	IR (kWh)	FR (kWh)	कुल खपत (यूनिट)	औसत खपत (यूनिट/माह)	MD (किलोवाट)
01.11.25	01.12.25	01	17001	17255	254	254	2.34
01.12.25	01.01.26	01	17255	17650	395	395	2.13
01.01.26	01.02.26	01	17650	17997	347	347	3.87
01.02.26	01.03.26	01	17997	18182	185	185	3.09
01.03.26	01.04.26	01	18182	18407	225	225	2.01

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 01.10.2025 से दिनांक 01.11.2025 तक, लगभग एक माह की अवधि में, कुल 1495 (17001–15506) यूनिट की विद्युत खपत की गई है तथा परिवादी द्वारा उक्त अवधि में, अधिकतम विद्युत भार–11.67 किलोवाट का उपभोग किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 14.11.2025 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत–1452 (17177–15665) यूनिट के सही होने की पुष्टि होती है। एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, मीटर संख्या–84553177 पर, दिनांक 01.04.2026 को, मीटर रीडिंग/खपत–18407 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 14.03.2026 को जारी बिल में दर्शायी गई रीडिंग/खपत–18257 केडब्लूएच सही प्रतीत होती है। उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–84553177 पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–84553177 में, दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल, परिवादी को जारी किए गए हैं। परिणामस्वरूप, विद्युत खपत के आधार पर जारी बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/07/2026

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

28/07/2026

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 152/2026 दिनांकः 21.07.2026

परिवादी :– श्री श्याम सिंह राठौर पुत्र स्व0 राम खिलावन राठौर, लोधा मण्डी, पुराना इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार।

विपक्षी – अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य– परिवादी श्री श्याम सिंह राठौर पुत्र स्व0 राम खिलावन राठौर, लोधा मण्डी, पुराना इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6911321954423 के सन्दर्भ में कागज नं0 1 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उनके द्वारा वाद सं0 315/2025, मंच के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें मंच द्वारा दिनांक 17.03.2026 को उनका परिवाद स्वीकार कर विपक्षी विद्युत विभाग (अधिशासी अभियंता), उत्तराखण्ड पॉवर कोरपोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, नगरी, हरिद्वार को उनका विद्युत संयोजन संख्या 6911321954423 को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आदेशित किया गया था जिसके उपरांत विपक्षी विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मंच के आदेश का अनुपालन में मात्र औपचारिकताएं करते हुए उनके परिसर में मात्र एक मीटर स्थापित किया गया जबकि उस मीटर से किसी प्रकार की कोई विद्युत आपूर्ति उनके परिसर पर नहीं पहुंचाई गई है और ना ही आज तक विद्युत विभाग के द्वारा उक्त मीटर को स्थापित किये जाने की कोई सीलिंग रिपोर्ट उनको उपलब्ध कराई गयी है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त स्थापित मीटर से विद्युत आपूर्ति उनके परिसर में कराई जाने एवं उक्त स्थापित मीटर की सीलिंग रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाने के लिए विपक्षी विद्युत विभाग को आदेशित करने की कृपा करें।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा कागज नं0 3 ता 6 पत्र संख्या 1227 दिनांकित 22.06.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वादी श्री श्याम सिंह राठौर पुत्र स्व0 श्री रामखिलावन राठौर, लोधामण्डी, पुराना इण्डस्ट्रील एरिया, हरिद्वार के विद्युत संयोजन संख्या–6911321954423 पर दिनांक–05.05.2026 को मीटर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गयी थी। परंतु वादी शिकायतकर्ता द्वारा ऑउटपुट वायर उपलब्ध न कराने के कारण वादी उपभोक्ता के

परिसर तक विद्युत आपूर्ति पहुँचाना सम्भव नहीं हो सका। चूँकि ऑउटपुट वायर उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

–:विचारण–

पत्रावली पर पक्षकारो को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने अपने परिवाद में पूर्व निर्णित परिवाद स0–152 / 2026 में पारित आदेश का आधार लिया है तथा कथन किया है कि विपक्षी ने उसके यहॉ मीटर संस्थापित कर दिया है तथा मीटर तक सप्लाई भी दे दी गई है परन्तु उसके परिसर का तार मीटर में नही लगाया गया है। दूसरा आरोप परिवादी की ओर से लगाया गया है कि उसे मीटर सीलिंग की प्रति नही दी गई है। उक्त के जवाब में विपक्षी की ओर से मीटर सीलिंग की प्रति पत्रावली पर दाखिल करते हुए कथन किया है कि परिवादी को दूरभाष पर सूचित किया गया था परन्तु वह उपसिथत नही आया जिस कारण सीलिग रिपोर्ट की प्रति परिवादी को नही दी जा सकी। विपक्षी ने यह कथन भी किया है कि वादी शिकायतकर्ता द्वारा ऑउटपुट वायर उपलब्ध न कराने के कारण वादी उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत आपूर्ति पहुँचाना सम्भव नहीं हो सका। विपक्षी के उक्त कथनो का परिवादी की ओर से कोई खण्डन नही किया गया जिससे स्पष्ट होता है विपक्षी की ओर से सेवा मे कोई कमी नही की गई है। परिवादी को परिसर मे सप्लाई लेने हेतु अपना तार विपक्षी के प्रश्नगत विद्युत मीटर तक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी परिवादी की है परिवादी को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा। मीटर सीलिंग की प्रति परिवादी विपक्षी से प्राप्त कर सकता है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाना उचित एवं न्याय संगत होगा।

–आदेश–

परिवादी का परिवाद आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है। 'परिवादी' परिसर मे सप्लाई लेने हेतु परिसर का तार विपक्षी के प्रश्नगत विद्युत मीटर तक उपलब्ध कराकर अपनी जिम्मेदारी का पालन करे तथा विपक्षी प्रश्नगत मीटर से आउट गोइंग सप्लाई परिवादी को उपलब्ध कराये ताकि परिवादी विद्युत सेवा का उपभोग प्राप्त कर सकें। आदेश अनुपालन अविलम्ब किया जाकर अनुपालन आख्या आदेश दिनांक से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश हों। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 157/2026

Mrs. Vinita Punetha V/S Executive Engineer, Ramnagar, Roorkee

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	19.06.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 30.06.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 30.06.2026 को पेश हो।	
	30/06/26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी जवाब अपेक्षित न्यायहित में दि:- 04.07.2026 नियत की जाती है।	
	04.07.26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 14.07.2026 नियत की जाती है।	
Mohd. Usman SDO 14/7/26	14/7/26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया है। परिवादी की ओर से अनुपस्थित। समाधान करने को भी संतोषजनक नहीं है। तदनुसार परिवाद आगे चलाया जाना है।	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 159/2026

Mr. Deepak Sharma V/S Executive Engineer, Kotdwar

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	19.06.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 30.06.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 30.06.2026 को पेश हो।	
	30/6/26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त। जवाब की प्रति पत्रावली में संलग्नित है। सुनवाई हेतु पत्रावली दि. 14.07.2026 नियत की जाती है।	
	14/7/26	पत्रावली पेश हुई। जोरवाड़ी की ओर से प्रीट ऊनट पत्र प्रस्तुत विपक्षी की ओर से उपस्थित पेश होना है एवी कुट। प्रीट ऊनट की प्रीट विपक्षी को प्रेषित हो। पत्रावली दिनांक 21/7/26 को पेश हो।	
	21/7/26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी की ओर से जोरवाड़ी की दरख्वास्त में देरी को तकनीकी खामी के होना बताया गया। विपक्षी द्वारा जोरवाड़ी की दरख्वास्त का उत्तर दाखिल किया जाना है। पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 169/2026

Sh. Rajive Kumar Jain V/S **Executive Engineer, Ramnagar, Roorkee**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	07.07.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 21.07.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 21.07.2026 को पेश हो।	
	21.07.26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब प्राप्त, जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित हो। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 28.07.2026 नियत की जाती है।	
Pankaj Gautam SDO	28/7/26	परिवादी का प्रस्ताव पर पुत्रा गया। विपक्षी के प्रतिनिधि उपस्थित। तर्क सुने गए। पत्रावली पूर्ण की गई। विपक्षी द्वारा लाईनबिल ठीक किया गया है। आदेश। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र यह परिवाद वापसी होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली कागिल दफ्तर हो।	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 170/2026

Smt. Ruchi Chauhan **V/S** **Executive Engineer, SIDCUL, Haridwar**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	07.07.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 21.07.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 21.07.2026 को पेश हो। HDM	
	21/7/26	पत्रावली पेश हुई। परिवादी की ओर से ई-मेल प्राप्त पत्र प्राप्त हुआ जिसमे लिखित गलत पेश मामले पत्र वापस करने का आवेदन करते हुए परिवाद को समाप्त। निस्तारण की प्रार्थना की गई है। स्वीकार करते हुए मामला समाप्त की जाती है। HDM	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 176/2026

Smt. Saroj Bounthiyal **V/S** **Executive Engineer, Kotdwar**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	10.07.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 21.07.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 21.07.2026 को पेश हो।	
	21.07.26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी का जवाब ई० मेल से प्राप्त। पक्ष मुलप्राप्ति अपेक्षित। व्यवहृत में दिनांक 28.07.2026 नियत की जाती है। पत्रावली सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।	
	28/7/26	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी ने अपने जवाब में बताया है कि शिकायत का समाधान कर दिया है। उक्त की फोटो प्रति भी ई-मेल पर भेजी है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA, HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 184/2026

Sh. Rewat Ram Maithani V/S Executive Engineer, Kotdwar

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	18.07.2026	शिकायत दर्ज होकर पेश हुई। अवलोकित की गई। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी 28.07.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 28.07.2026 को पेश हो। HDM 20/7/26 पत्रावली पेश हुई। विपक्षी उपखंड अधिकारी परिवादी के द्वितीय विकल्प की समस्या का निदान विपक्षी द्वारा करा दिया गया है। परिवाद का निस्तारण किया जाता है। HDM आदेश विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान उसके द्वितीय विकल्प का चुका है किसी आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली कोमप्लेक्शन में दिया है। HDM	